RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : MISC/CPM/01/KPHO/2019-21
प्रधान डाकघर कानपुर-डाक प्रेषण दिनांक 29/30

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/-

द्रविड़ भारत

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्र

सितम्बर-2020 | वर्ष - 12 | अंक : 8 | मूल्य : 5/-

सम्पादकीय

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074
संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. राम अवतार चौधरी (इं. जल संस्थान), मा. छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली), मनीष कुमार मो. 9415053621
राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश : सुनीता धीमान, 414/12, शास्त्री नगर, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 9450871741
क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय : 40/69, डी-5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631
ब्यूरो प्रमुख कानपुर मण्डल : पुष्पेन्द्र गौतम हिन्दुस्तानी, मल्हौसी, औरेया, उ.प्र. मो.: 9456207206
हरियाणा राज्य : डा. रमेश रंगा, ग्राम-सराय, औरंगाबाद, पो.-बहादुरगढ़,जिला-झज्जर (हरियाणा),09416347052
कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, रामऔतार वर्मा, एड. सुशील कुमार, कानपुर
मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार कार्यालय : ग्रा. व पो.-रामटौरिया, जिला-छतरपुर
छत्तीसगढ़ राज्य : दिलीप कुमार कोसले, मो. : 09424168170
दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कनौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट-III, बदरपुर, नई दिल्ली-44, मो. : 09540552317
राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.-1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला-अलवर-301001, मो. : 09887512360, 0144-3201516
चिरंजीलाल बैरवा (व्यावस्थापक) मेहरा आदर्श विद्या मन्दिर, भीम नगर कालोनी, राज भट्टा, दिल्ली रोड, अलवर, जिला-अलवर, मो.-09829855349
बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.-08058198233
संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय : ग्रा व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला-महोबा (उ.प्र.) मो. : 9005204074, 8756157631
E-mail : dravinbharat1@gmail.com
प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें - भारतीय स्टेट बैंक, शाखा-नवीन मार्केट, कानपुर खाता सं.-33496621020 • IFSC CODE-SBIN0005307

बाबा साहेब डा. अम्बेडकर के अनमोल विचार

"मेरा आपको अंतिम आदेश है कि **आप शिक्षित करो, आंदोलित करो और संगठित रहो**। अपने में विश्वास रखो, निराश न होओ, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा क्योंकि, मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे।"

"मैं उसे ही शिक्षित मानता हूं जो अपने दुश्मन को पहचानता है।"

"शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे पीकर कोई भी व्यक्ति शेर की तरह दहाड़ सकता है।"

"हमारे समाज में शिक्षा में कुछ प्रगति हुई है। शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर पहुंच गये हैं। **परन्तु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है।** मैं आशा कर रहा था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाज की सेवा करेंगे। किन्तु मैं क्या देख रहा हूं कि छोटे और बड़े क्लर्कों की एक भीड़ एकत्रित हो गयी है, जो अपनी तौंदे (पेट) भरने में व्यस्त हैं। वे जो शासकीय सेवाओं में नियोजित है, **उनका कर्तव्य है कि उन्हें अपने वेतन का 20 वां भाग (5 प्रतिशत) स्वेच्छा से समाज सेवा के कार्य हेतु देना चाहिये।** तभी समाज प्रगति करेगा अन्यथा केवल एक ही परिवार का सुधार होगा। एक बालक जो गांव में शिक्षा प्राप्त करने जाता है, सम्पूर्ण समाज की आशायें उस पर टिक जाती हैं। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता उनके लिये वरदान साबित हो सकता है।"

मेरी छात्रों से अपील है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की क्लर्की करने के बजाय उसे उसके अपने गांव की अथवा आस-पास लोगों की सेवा करना चाहिये। **जिससे अज्ञानता से उत्पन्न शोषण एवं अन्याय को रोका जा सके।** आपका उत्थान समाज के उत्थान में ही निहीत है।"

"यदि कोई राह मंजिल तक नहीं जाती, तो उस पर चलने का कोई फायदा नहीं।"

"चरित्रहीन और विनयहीन शिक्षित मनुष्य पशु से भी भयंकर होता है। अगर शिक्षित मनुष्य की शिक्षा गरीब जनता के कल्याण के खिलाफ होती है तो वह समाज के लिये शाप बन जायेगा। ऐसे शिक्षितों का धिक्कार हो। शिक्षा की अपेक्षा चरित्र अधिक महत्व का हो।"

"भारत का इतिहास और कुछ नहीं, सिर्फ बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच जातीय संघर्ष का इतिहास है।"

"हमारा उद्देश्य और लक्ष्य शासक वर्ग बनना है। आप सभी याद रखें और अपने घरों की दीवारों पर लिखें जिससे आप प्रतिदिन याद रखें कि जिस लक्ष्य को आपने धारण किया है वह कोई साधारण महत्व का नहीं है।"

"अशिक्षित को शिक्षित करना, शिक्षित को सुरक्षित करना, सुशिक्षित को संस्कारित करना, संस्कारित को सुसंस्कारित करना और सुसंस्कारित को सत्ता में लाना हमारा ध्येय है।

"हम महसूस करते हैं कि हमारे अतिरिक्त हमारे दुखदर्द को कोई भी दूर नहीं कर सकता और जब तक राजनीतिक शक्ति हमारे हाथों में नहीं आती हम भी उसे दूर नहीं कर सकते। राजनीतिक सत्ता के बिना हमारे लोगों का उद्धार सम्भव नहीं है।

"यदि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कमर कस लें, तो हम हर किस्म की बाधाओं से, जो हमारे सामने आयें, मुकाबला करके अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे।

"याद रखिये, हमारा यह आंदोलन तब तक सफलता की चोटी पर नहीं पहुंच सकता, जब तक हमारी महिलायें भी इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लेंगी।

"मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि प्रत्येक शहर में एक **स्वंयसेवक दल** का निर्माण हो, और उस दल के सदस्य शहरों से दो-दो सौ मील दूरी पर बसे हुए देहाती गांवों में जा-जाकर इन संदेशों को पहुचायें और घर-घर में प्रचार करें।"

"इस दुनिया में जितने भी महान कार्य किये गए हैं वे अनवरत उद्योग और कठिन परिश्रम से किये गये हैं, किसी को भी अपना मस्तिष्क अपने लक्ष्य पर केन्द्रित करना चाहिये, मनुष्य को जिंदा रहने के लिये खाना चाहिये और जीवित रहकर समाज के कल्याण के लिये कार्य करना चाहिये।

"हर एक को स्वसम्मान के महान आदर्श को समृद्ध करने तथा मानवीय जीवन को सर्वोत्कृष्ट बनाने के लिये **अपना जीवन सर्म्पित करने का दृढ़ संकल्प करना चाहिये।**

केवल वे ही लोग बढ़ते है जो संघर्ष करते हैं।

"जिस प्रकार पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार विचार को भी प्रचार की जरूरत रहती है, अन्यथा दोनों मुरझाकर नष्ट हो जायेंगे।"

"आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिये कि अन्य लोग आपका आदर करें, आपका सम्मान करें। इसलिये हमें बौद्ध धर्म का पालन अच्छी तरह से करना चाहिये। इसलिये हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिये। यदि हमने ऐसा किया तो हम अपना उद्धार तो करेंगे ही उसके साथ-साथ, अपने राष्ट्र का ही नहीं दुनिया का भी उद्धार करेंगे। क्योंकि केवल बौद्ध धर्म से दुनिया का उद्धार होगा।"

"भारत में समाज सुधार का कार्य करना निर्वाण प्राप्ति के बराबर है।"

"यह नया मार्ग बहुत बड़ी जिम्मेदारी का है। **हमने कुछ संकल्प किया है।** कुछ अपेक्षाएं भी हैं, इसे युवाओं को ध्यान में रखना चाहिये।

"केवल कठिन और अथक संघर्ष के कारण ही कोई भी व्यक्ति शक्ति, दृढ़ विश्वास और गौरव प्राप्त करता है।

"महानता केवल संघर्ष और त्याग से ही प्राप्त हो सकती है।"

"कोई पद दलित व्यक्ति तब तक महान नहीं बन सकता जब तक वह संघर्ष और कष्ट सहने के लिये तैयार नहीं हो जाता। उसे अपने भविष्य के निर्माण हेतु वर्तमान सुविधाओं, बल्कि आवश्यकताओं का भी त्याग करने को तैयार रहना होगा।"

"मेरा संदेश है संघर्ष और अधिक संघर्ष, त्याग और अधिक त्याग, त्याग और संघर्ष को न गिनें तो यह संघर्ष केवल संघर्ष ही है जिससे उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी और किसी अन्य चीज से नहीं।"

"बलि बकरे को दी जाती है, सिंह की नहीं। तुममें तेज तो है, लेकिन तुम्हें इसकी पहचान ही नहीं है।"

"मेरा सबसे अधिक सम्मान यही होगा कि **मेरे आंदोलन का उद्देश्य को पूरा करने की कठिन प्रतिज्ञा करें।"**

हम योद्धाओं के वंशज हैं।"

"अगर लोगों के मन में नई धारणाओं को स्थापित करना है तो उन्हें नया नाम देना भी जरूरी है। **पुराने नाम को बनाये रखने का अर्थ किसी भी सुधार को निरर्थक बना देना होगा।"**

बुद्ध विहार इतने विशाल होना चाहिये कि ऐसा महसूस हो कि वास्तव में कुछ बड़ा कार्य हो रहा है। उससे जुड़े हुए विद्यालय और महाविद्यालय आवश्यक हैं। उनका उद्देश्य यह है कि युवकों में धार्मिक वातावरण पैदा हो।"

"यदि बौद्ध धर्म के पुनर्जीवन के कार्य को सफल बनाना है तो भिक्खुओं पर बहुत जिम्मेदारी आती है वे अभी जैसे हैं उससे अधिक सक्रिय होना चाहिये। उन्हे अपने विहारों से निकलकर संघर्षशील शक्ति के रूप में आगे आना चाहिये।"

"भारतीय इतिहास में केवल एक काल ऐसा है जिसे स्वतंत्रता, महानता तथा गौरवपूर्ण युग कहा जाता है। वह युग है, मौर्य साम्राज्य ..... मौर्यकाल में चातुर्वण्य को जड़ मूल से समाप्त कर दिया गया था।

मौर्य युग में तथाकथित शूद्र, जिनकी संख्या काफी थी, अपने असली रूप में आए और देश के शासक बन गये।

"वोट का अधिकार हर व्यक्ति को गुलामी से मुक्ति की राह प्रशस्त करता है।"

"मैंने वोट का अधिकार पद दलितों को दिलवाकर अपने जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण राजनैतिक लड़ाई जीती है। इसका प्रयोग करो।

"राजनीतिक शक्ति समस्त सामाजिक प्रगति की चाबी है।"

"राजनीतिक पार्टी का अस्तित्व लोगों को शिक्षित करने, संघर्षशील करने तथा संगठित करने के लिये है।"

रवि कुमार
रिटा० जे.डी.सी., आजमगढ़
मो. : 9450759394
सी-35, आवास विकास कालोनी, उन्नाव
सी-161, सेक्टर-डी, एलडीए कालोनी,
कानपुर रोड, लखनऊ-226012

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय

राष्ट्रीय आजीविका सेवा केन्द्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु)

प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय परिसर, जी० टी० रोड, कानपुर–208005
ई–मेल : sreoknp@gmail.com
फोन नं० : 0512–2242222

निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु प्रवेश सूचना

आवेदन–पत्र

क्रम सं.	कोर्स/अवधि	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	आयु	छात्रवृत्ति/अन्य
01	ओ लेवल कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण (NIELIT से) 01 वर्षीय	इण्टरमीडिएट	18–30	निःशुल्क किताबें/लेखन सामग्री + 1000 छात्रवृत्ति प्रति माह
02	ओ लेवल कम्प्यूटर हार्डवेयर मेंटिनेंस प्रशिक्षण (CHM) (NIELIT से) 01 वर्षीय	इण्टरमीडिएट (विज्ञान) / ITI	18–30	उपरोक्त
03	विशेष प्रशिक्षण योजना (11 माह) लिपिकीय वर्ग भर्ती परीक्षा तैयारी	इण्टरमीडिएट	18–27	उपरोक्त

नोट – पूर्ण विवरण एवं निःशुल्क आवेदन–पत्र प्राप्त करने हेतु इस केन्द्र में कार्यालय दिवस में सम्पर्क करें।

राष्ट्रीय आजीविका सेवा केन्द्र, अनु०जाति/जनजाति हेतु भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन संचालित है जो कि प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय परिसर, जी०टी० रोड में स्थित है जिसमें शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किये जाते हैं। संचालित प्रशिक्षण में 01 वर्षीय ओ लेवल कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स NIELIT द्वारा 12वीं पास हेतु 18–30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 01 वर्षीय कम्प्यूटर हार्डवेयर कोर्स NIELIT द्वारा 12वीं पास हेतु 18–30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। विशेष प्रशिक्षण योजना 11 माह की अवधि 12वीं पास हेतु आयु सीमा 18–27 वर्ष होनी चाहिए। इस केन्द्र द्वारा अभ्यार्थियों को प्रति माह 80 प्रतिशत की उपस्थिति होने पर 1000/– रू० की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी व पूरे वर्ष में एक बार अभ्याथी को 1000/– रू० की किताबें व स्टेशनरी भी प्रदान की जाएगी।

इच्छुक अभ्यार्थी अपनी एक फोटो, सभी मूल प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड) एवं छायाप्रति के साथ इस कार्यालय में सम्पर्क करें। पूर्ण विवरण एवं निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु इस केन्द्र में कार्य दिवस में सम्पर्क करें।

(राज कुमार)
उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, कानपुर
रा० आ० से० के०

संगठन क्षमता

महामानव डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने ''शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो'' जो आह्वान किया था, वह सम्पूर्ण अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के लिए था। यह तो स्पष्ट है कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व इस देश में जो शिक्षा थी, वह धार्मिक ग्रंथों के पठन-पाठन तक सीमित थी और उसमें व्यावहारिक एवं व्यवसायिक ज्ञान का समावेश नहीं था और वह मनुवादी व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण वर्ग के लिए ही थी। अछूतों अर्थात् तथाकथित शूद्रों के लिए तो वह थी नहीं, इसलिए शिक्षा हेतु सबके लिए दरवाजे खोलने का श्रेय अंग्रेजों को ही जाता है, हालांकि उन्होंने इस देश के सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए उच्च कहे जाने वाले वर्गों के लोग ही उनके द्वारा स्थापित स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षा के लिए आगे आए। धर्मान्तरण के लालच में ईसाई मिशनरियों के जरूर अछूतों को शिक्षा प्रदान करने का काम किया। इससे अछूतों की सामाजिक तो नहीं, लेकिन आर्थिक स्थिति में जरूर फर्क आया।

हिन्दू मान्यता के अनुसार बड़ी-से-बड़ी शिक्षा के बावजूद महार, चमार, पासी आदि कोई भी बराबरी का हकदार नहीं हो जाता, इसका दंश डॉ. अम्बेडकर से ज्यादा किसी ने नहीं झेला, इसलिए वे पूरे दलित समाज को शिक्षित करने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि लोग शिक्षित होने पर सवर्णों की रीति-नीति से वाकिफ हो जाएंगे, उनमें बराबरी का अहसास पैदा होगा और वे उसे पाने के लिए संगठित होकर प्रयास करेंगे। लेकिन यह कैसी विडम्बना है कि उनके इस प्रेरणादायी उद्बोधन का प्रभुत्वसम्पन्न वर्णों ने ही ज्यादा प्रभावी रूप से अनुसरण किया और वे शिक्षित तो हुए ही, क्योंकि सारे अवसर उनके अनुकूल थे, परन्तु चौथे वर्ण को वहीं-का-वहीं दबाने के लिए संगठित भी हो गए। मगर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग पहले से भी अधिक खेमों में बंट गए और आरक्षण की सुविधा पाने के लिए छीना छपटी मच गई और सवर्ण अलग-अलग को उंगली लगाकर तमाशाबीन बनाता रहा। वह एक-एक को यही कहकर फुसलाता रहा कि यह तो तेरे लिए था और उसने हड़प लिया या उसने ज्यादा ले लिया या तुम अपना हिस्सा अलग करवा लो। इस दुरंगी चाल में वह कहीं-कहीं कामयाब भी हुआ।

चमार के अन्तर्गत ही आने वाली उपजातियों ने अलग जातीय अस्तित्व बनाने के लिए अपने ही दायरे में संगठन बनाने शुरू कर दिए। न तो 'दि चमार्स' के लेखक जी. डब्ल्यू. ब्रिग्स की बात पर अमल किया और न ही डॉ. अम्बेडकर के क्रांतिकारी उद्घोष पर एकजुटता दिखाई, जिसका ऐलान करते हुए सन् 1935 में ही डॉ. अम्बेडकर ने कहा था- ''मैं हिन्दू धर्म में पैदा हुआ हूँ, जो मेरे वश में नहीं था, परन्तु हिन्दू रहकर मरूँगा नहीं''। जिस पर उन्होंने बहुत लम्बा मनन-चितन करके 21 वर्ष बाद 14 अक्टूबर, 1956 को अन्तिम निर्णय लिया और बौद्ध धर्म में दीक्षित होने को अपना पुनर्जन्म बताया। आज बड़ा ही क्रूर मजाक उनकी वैचारिक क्रान्ति के साथ हो रहा है, लोग देवता की तरह उनकी पूजा करते है, लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते। जिस जाति समूह को उन्होंने अनुसूचित वर्ग की संज्ञा दी थी, उनमें आपस में ही संघर्ष चल रहा है। इधर जब कर्मचारी संगठनों ने 'बैकलॉग' पूरा करने के लिए दबाव बनाया, उधर सार्वजनिक उद्योगों और अधिक के निजीकरण की मुहिम तेज कर दी गई, फिर नेतृत्व के अहम् और टकराहट से इन संगठनों की धार भी कुन्द हो गई।

पहले तो चमार एक ही माला के मोती समझकर इन सबमें शिरकत करता रहा, लेकिन जब राज्य सरकारों के स्तर पर अनुसूचित वर्ग के कोटे को दो भागों में बाँटने की साजिश को अमली जामा पहनाया गया और उससे चमार के हितो को ठेस पहुंची, तो प्रतिकार में उसने जाति के नाम से संगठन बनाने की शुरुआत की और हरियाणा प्रदेश चमार संघर्ष समिति की ओर से प्रान्तीय स्तर पर सम्मेलन तथा जनसभाएँ आयोजित की जाती हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर बिरादरी के लोग शामिल होते है और सभी समस्याओं के समाधान के लिए रीति-नीति बनाते हैं। 'दुलीना' और 'हरसौला' की घटनाएँ हरियाणा के माथे पर कलंक हैं, इन दोनों ही मामलों पर प्रदेश की चमार बिरादरी के लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया, जिससे इन घटनाओं में अपराधियों को सजा का मार्ग प्रशस्त हो सका।

इसी प्रकार महाराष्ट्र में महाराष्ट्रीय चर्मकार संघ की स्थापना सन् 1995 में 24 सितम्बर को हुई, जिसका श्रेय मा. बबनराव घोलप को जाता है और प्रदेश के सभी जिलों में उसकी शाखाएँ काम कर रही है। यह संघ चमारों की आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक प्रगति के लिए दृढ़संकल्प है। श्री घोलप का कहना है कि हमारा समाज इतना पीछे क्यों है, इस पर सोचने का वक्त आ गया है। पहली जरूरत तो यह है कि दलित हीनता-बोध को मुक्त हों। जाति यदि किसी ब्राह्मण के लिए 'गर्व' की चीज है, तो दलित इस पर शर्म क्यों महसूस करे। दलितों को भी चाहिए कि वे एकजुट हों तथा अपने पर गर्व अनुभव करें कि हमारा अपना समूह इतिहास, संस्कृति और परम्पराएँ हैं। विद्वान और शूरवीर से लेकर संतों तक दलितों के पास गौरव का अक्षय भंडार है, फिर हीनता किस बात की?

श्री बब्बनराव घोलप जी मजबूत संगठन के बल पर और अपने प्रभाव से महाराष्ट्र सरकार की कल्याण योजनाओं का लाभ चर्मकारों को दिलवाने में सक्षम रहे हैं। चर्मकार संघ चमार समाज को राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट करने के लिए भी प्रयत्नशील है। सामाजिक उत्थान ही संघ का उद्देश्य नहीं, बल्कि आर्थिक प्रगति भी उसके एजेंडे में प्राथमिकता के आधार पर है।

महाराष्ट्रीय चर्मकार संघ एक पूर्णतः गैर-सरकारी संगठन है। छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहूजी महाराज, संघ के आदर्श है, इसलिए समता आधारित समाज-व्यवस्था का निर्माण करना उसका सपना है। 'मन चंगा तो कटौती में गंगा' संत रविदास जी का यह वचन बोध वाक्य के रूप में चुना गया है इसी प्रकार आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में चमार बिरादरी के संगठन काम कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वरूप के चमार बिरादरी के संगठन की अभी कमी बनी हुई है, जो सही मायने में तमाम बिरादरी को एकजुट कर सकें।

अनेक जातियों/उपजातियों ने अपनी-अपनी पहचान बनाकर दूसरे समाजों एवं सरकार पर दबाव बनाने तथा किसी भी प्रकार से अधिक लाभ लेने के लिए जाति एवं उपजाति के नाम से संगठन बनाए हैं। उदाहरण के रूप में क्षत्रिय महासभा, राजपूत महासभा, ब्राह्मण महासभा, वैश्य महासभा, जाट महासभा, गुर्जर महापंचायत, अग्रवाल महासभा, राजपूत महासभा तथा बिश्नोई महासभा और अनुसूचित जातियों/जनजातियों में वैरवा महासभा, रैगर महासभा, कोली महासभा, धोबी महासभा, खटीक महासभा, जाटव महासभा, धानक महासभा और गौंड महासभा बनी हैं, जो अपनी जाति के उत्थान हेतु प्रयास कर रही हैं, जिससे चमार समाज काफी दबाब में है और इस होड़ में अपने आपको काफी पीछे ढकेला गया महसूस कर रहा है। इन जातिगत संगठनों को लाभबन्दी के मद्देनजर चमार जाति राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाने में जिन लोगों ने पहल की हैं, उनमें मुख्य रूप से श्री राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने में जिन लोगों ने पहल की हैं, उनमें मुख्य रूप से श्री ब्रह्मपाल, जो अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ के महासचिव रह चुके हैं और वर्तमान में अखिल भारतीय पी.एण्ड टी. एस. सी./एस.टी. वेलफेयर एसोसिएशन के दो दशक से भी अधिक समय से महासचिव है, श्री राजेन्द्र सिंह, जो अनु-जाति/जनजाति कर्मचारियों के कई राष्ट्रीय स्तर के संगठनों से सम्बद्ध रहे हैं डॉ. आर. एम. एस. विजयी, जो एक स्वयंसेवी संगठन, अखिल मानव समाज सेवा संघ तथा अमर शहीद अधम सिंह जन्म शताब्दी समारोह समिति के संस्थापक अध्यक्ष हैं, श्री राम प्रसाद आर्य, चमार महासभा, बस्ती, उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, श्री सुरेन्द्र पाल, एडवोकेट, मुजफ्फरनगर, उ.प्र. श्री राजपाल सिंह, 'मानव' दिल्ली, श्री शिव कुमार कटारिया, बडौत, उ. प्र. तथा मा. विजेन्द्र कुमार दिल्ली आते हैं। प्रेरक के रूप में डॉ. सूरजभान जो राष्ट्रीय अनु.जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष का बहुत बड़ा योगदान है, जो कहते थे कि सबसे पहले मैं चमार हूँ और सब कुछ बाद में।

अखिल भारतीय चमार महासंघ के नाम से अस्तित्व में आया राष्ट्रव्यापी संगठन अभी प्रारंभिक चरण में हैं और चमार समाज की सभी समस्याओं को हल करना, कराना इसकी कार्य सूची में है। लेकिन सन् 2004 में बना यह गैर-राजनीतिक संगठन अपने उद्देश्यों के अनुरूप देश के विभिन्न प्रदेशों में अपनी जड़ जमाने के लिए प्रयत्नशील है और अभी तक इसकी गतिविधियाँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक ही सीमित हैं।

जरूरत इस बात की है -

1. चमार समुदाय के लोगों में अखिल भारतीय स्तर पर किसी भी प्रकार के आपसी मनमुटाव या भेदभाव को दूर कर संगठित करना।
2. उनके हित में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नीतियों/कार्यक्रमों के बारे में उन्हें शिक्षित करना तथा परिलक्षित क्षेत्र का लाभ उन तक पहुँचाने के लिए प्रयास करना।
3. चमार समाज के बच्चों के लिए शिक्षा व रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना या सरकार से कराना व इस कार्य के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना ओर चमार रेजीमेंट भारतीय सेना में पुनः स्थापित कराना।
4. चमार समाज के लोगों के आर्थिक विकास, सामाजिक सुधार व सांस्कृतिक गतिविधियों की तीव्रता के लिए विशेष योजनाएं तैयार कर को-आपरेटिव बेस पर चलाना।
5. किसी भी स्तर पर चमार समाज के लोगों के उत्पीड़न व अत्याचार का विरोध करना तथा केन्द्र/राज्य सरकार के संज्ञान में लाना।
6. चमार समाज के ऐतिहासिक गौरव व सम्मान को स्थापित करने हेतु ऐतिहासिक शोध कार्य करना इससे समाज को अवगत कराना और दहेज प्रथा के विरोध में वातारण बनाना।
7. चमार समाज के लिए उनकी संख्या के अनुसार हर स्तर पर प्रतिनिधित्व प्राप्त करने हेतु प्रयास करना तथा समाज के प्रति पूर्ण निष्ठावान व ईमानदार प्रतिनिधि को उत्साहित करना व नामित करना आदि।

चमार समाज की भलाई के इन मुद्दों पर सक्रिय रूप से कार्रवाई हो, इसके लिए केवल बातें करने से काम चलने वाला नहीं है और समाज के प्रति निष्ठावान और सेवा भाव के काम करने वालों की जरूरत है, जो निजी स्वार्थ और महत्वाकांक्षा से परे हों और चमार जाति के अतीत का गौरव हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हों। आशा की जाती है कि महासंघ का शीर्ष नेतृत्व समाज की बराबरी और खुशहाली की लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा। वैसे समाज के प्रति निष्ठावान लोगों की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाये गए, यू. के. तथा यू. एस. ए. में रविदास महासभा तथा गुरु रविदास टैम्पल ट्रस्ट की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है, परन्तु गौरवशाली चमार जाति को बराबरी और खुशहाली के स्तर पर लाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है और इसके लिए अधिक सक्रिय प्रयासों की जरूरत है।

साभार :
चमार जाति इतिहास और संस्कृति
पृष्ठ संख्या 81 से 85 तक
एस. एस. गौतम
डॉ. आर.एम.एस. विजयी

जागृती का दीपक हमेशा जलाये रखो!

राऊंड टेबल कान्फरन्स के लड़ाई की पूर्व डा. बाबासाहब आम्बेडकर ने अपने समाज की मैदानी तैयारी शुरू की। उन का यह आन्दोलन गुलाम को गुलामी का एहसास देने हेतू महत्वपूर्ण रहा। चवदार तलाब का संघर्ष और मनुस्मृति चलाने की घटनाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। हजारों सालों से यह समाज मृत अवस्था में था। उनकी चेतना समाप्त हो गई थीं ब्राह्मणी व्यवस्था को खत्म करना है तो पहले गुलामों को गुलामी का एहसास करना होगा। डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर ने रात–दिन कड़ी मेहनत से आन्दोलन को खड़ा किया। इस आन्दोलन में उन्हें बहुत दिक्कतें और समस्याओं का सामना करना पड़ा। जागृत समाज आन्दोलन कर सकता है और उसके लिए साधनों को भी जरूरत होती है। साधनों के अभाव से आन्दोलन खत्म हो जाते हैं। 'मूकनायक', बहिष्कृत भारत', 'जनता' और 'प्रबद्ध भारत' इन समाचारपत्रों ने आन्दोलन में ऊर्जा का निर्माण किया। जिस आन्दोलन के पास अपने अखबार नहीं होते हैं उसकी स्थिति पंख छाटे हुए पंछी की तरह हो जाती है। महापुरूष ने अपने आन्दोलन को पंख भी दिए और ऊर्जा भी! सबसे बड़ी बात शत्रू ने इस आन्दोलन की दखल भी लिया और डरे भी। उन अखबारो में आन्दोलन के 'डाक्यूमेन्टेशन' है और वह आन्दोलन के साधन भी है। आन्दोलन की दिशा निर्धारित करने के लिए वह साधन आज बहुत महत्वपूर्ण भी है।

महाड में जो चवदार तलाब का आन्दोलन हुआ वह फ्रेंच राज्यक्रांति से भी बड़ा था। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि इस आन्दोलन का परिणाम सारी व्यवस्था पर दिखाई दिया। इस आन्दोलन पर गांधी की बुरी आँख थी। गांधी के 'यंग इंडिया' के पुराने अंकों में इस आन्दोलन के बारे में छपकर आया है। कांग्रेस भी इस आन्दोलन से डर चुकी थी। मगर वे भी इस आन्दोलन को दबाना चाहते थे। सायमन कमिशन जब भारत में आया तब गांधी और कांग्रेस से उन्हें किन वजह से विरोध किया? उस कमिशन पर ही अपना वर्चस्व चाहिए यह कांग्रेसी नेताओं की इच्छा थी, उसमें गांधी अव्वल थे। गांधी तो हुकुमशहा ही थे, 'हम करें सो कायदा और इसमें हो ब्राह्मणों का फायदा' यह उनकी खास नीति थी।

चवदार तलाब के आन्दोलन से ब्राह्मणों की व्यवस्था को जबरदस्त लगा। जब बाबासाहब यह आन्दोलन चला रहे थे, उसी समय उनका बच्चा बीमारी से मर गया। एक तरफ समाज की गुलामी है और दूसरी तरफ बच्चों की बिमारी, उसमें भी बाबासाहब ने कसम ली थी कि, जिंदगी में कभी सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। बच्चे का गिरता स्वास्थ्य उनके मन को द्रवित कर देता। उन्होंने जिस परिस्थिति का सामना करके आन्दोलन को खड़ा किया उसमें उनका त्याग और समर्पण यही आन्दोलन की नींव है। उन्होंने दिल्ली में अपने निवास स्थान पर 12 दिसम्बर 1942 को वह याद बयान की जिसे आज भी पढ़ने से रोना आ जाता है। उन्होंने कहा– ''दूसरा लड़का गंगाधर हुआ था। देखने में बहुत सुन्दर था। वह अचानक बीमार हो गया। दवा के लिये काफी पैसे नहीं थे। उसकी बीमारी में एक बार तो मेरा मन डाँवाडौल हो गया था कि मैंने सरकारी नौकरी कर ली तो सात करोड़ अछूतों का क्या होगा, जो गंगाधर से ज्यादा बीमार है। ठीक प्रकार से इलाज न होने के कारण वह नन्हा सा बच्चा ढाई साल की आयु में चल बसा। गली के लोग आये। सभी ने बच्चों की मृत देह को ढाकने के लिए नया कपड़ा लाने को कहा और पैसे मांगे! लेकिन मेरे पास उतने पैसे थे ही नही। अन्त में मेरी प्यारी पत्नी ने ही अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा फाड़ कर दिया। उसी से मृत बालक की देह को ढककर लोग शमशान घाट लेकर गए और भूमि में दफना आये! ऐसी थी मेरी आर्थिक परिस्थिति, मैंने जैसे गरीबी के दिन देखे हैं, उसका अनुभव किसी भी नेता को नहीं होगा।''

डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर ने जिन परिस्थितियों से सामना करके आन्दोलन खड़ा किया उसकी वह दर्दनाक याद उन्होंने व्यक्त किया। जिसे पढ़कर या सुनकर कोई भी पत्थर दिल व्यक्ति द्रवित होगा। उनका एक बच्चा मर गया तब चवदार तालाब का आन्दोलन चल रहा था। अपने दुःख को सहकर वे समाज के दुःखो के काँटो को दूर कर रहे थे। उसी दरमियान उनका और एक दूसरा लड़का जिसका नाम राजरत्न था। देखने वह भी बहुत सुन्दर था। उसे दो बार निमोनिया हुआ और उसी में वह मर गया। दूसरी ओर एक दर्दनाक बात यह थी कि अमरावती में अछूतों की बहुत बड़ी परिषद आयोजित की थी और बाबासाहब वहाँ गए थे। तब सभा में ही एक व्यक्ती मंचपर आता है और बाबासाहब के हाथ में एक लिफाफा देता है, जिसमें यह लिखा हुआ था, '12 नवम्बर 1927 के दिन बालाराम आम्बेडकर का निधन हुआ।' वह पढ़कर बाबासाहब को जबरदस्त सदमा पहुँचा परन्तु सामने दूखित, शोषित समाज था उन्हे देखकर खूद पर काबू किया उनके लिए और उनके दुःख को जुबान बनने के लिए संगठित शक्ति खड़ा करना उनके लिए महत्वपूर्ण कार्य था। उसी के लिए बाबासाहब ने प्राथमिकता दी। परन्तु सभा में वह दुखभरी बात फैल गयी। परन्तु बाबासाहब उस सभा में डटकर खड़े थे। लोगों को यह आशंका थी कि बाबासाहब अब हमें उपदेश या संदेश दिए बगैर वहाँ से चले जाऐंगे। परंतु वैसा नहीं हुआ। बाबासाहब सभा समाप्त होने तक वहीं थे। अपने भाई के अत्यविधी में वे शामिल नहीं हुए। अमरावती से जब वे वापस लौटे तो उन्होंने अपने भाई और समाज के बारे में 'बहिष्कृत भारत' में इस तरह लिखा– डा. बाबासाहब आम्बेडकर आन्दोलन के लिए कितने दृढ संकल्पित थे यह इसका जीता जागता नमूना है। उन्होंने अपने महान उद्देश्य के लिए त्याग और त्याग ही किया। जीवन में अगर महान कार्य करना चाहते हो तो उसके लिए त्याग की भावना बहुत जरूरी है।

महाड के चवदार तालाब का संघर्ष यह मानव इतिहास में महान क्रान्ति है। इस आन्दोलन से गुलाम जागृत हुए, ''मेरे बड़े भाई की मृत्यु हुई तब मैं अंबादेवी के सत्याग्रह के लिए गया था। अमरावती में तारीख 13 नवम्बर को मेरी अध्यक्षता में परिषद आयोजित करना तय हुआ था। उस परिषद को मैं गया था। मेरे अनुपस्थिति में जो 3/4 हजार अछूत भाईयों ने मेरे भाई की अंत्ययात्रा में उपस्थित रहकर जो दुःखद परिस्थिति में सहानुभूति दर्शाई उन सबका मैं बहुत आभारी हूँ।'' – भीमराव अम्बेडकर।''

ब्राह्मणी व्यवस्था पर जबरदस्त हमला हुआ। इस आन्दोलन के लिए जो तैयारी करनी थी वह बौद्धिक जनजागरण के लिए जरूरी थी। उसी आन्दोलन का नतीजा देशव्यापी फैल गया। यह बात तो सच है कि, **जो समस्याओं की निर्मिती करते हैं वे समस्याओं का समाधान कभी नही कर सकते।** आजादी के लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता होती है। अस्पृश्यों को कुत्ते–बिल्ली जैसे अधिकार भी नही थे। महाड के चवदार तालाब के आन्दोलन से ब्राह्मणों को गुस्सा आया, उससे उनका जहर उगला। सभा लेने के लिए कोई भी जगह तक देने के लिए तैयार नहीं थे। तब वह जगह एक फत्तेहखान नाम के मुसलमान व्यक्ति ने दी। सन 1927 यह साल महाड के आन्दोलन से इतिहास की याद दिलाने वाला हुआ।

डा. बाबासाहब आम्बेडकर ने इस आन्दोलन के लिए महाड को ही क्यों चुना? 1927 यह साल ही क्यों चुना? 1927 यह साल राष्ट्रपिता ज्योतिबाराव फुलेजी का जन्म शताब्दी वर्ष था। राष्ट्रपिता ज्योतिबाराव फुलेजी का वह सम्मान था। उनके महान कार्य का सम्मान करने के लिए ही 1927 यह साल चुना गया। महाड यह स्थल आन्दोलन के लिए चुनने के पीछे यह ऐतिहासिक वजह है। महाड यह रायगढ़ जिले में आता है। महाड और रायगढ़ जिले में बहुत कम अंतर है इसी रायगढ़ पर छत्रपती शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। परन्तु इसी रायगढ़ पर पेशवा ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर अत्याचार किया था। उन्हें शूद्र कहकर गाली दी थी। उसी रायगढ़ पर उन्हें पेशवा ब्राह्मणों ने जबर देकर मारा गया था। उसी बात का भी बदला लेने के लिए चवदार तालाब का आन्दोलन करने के पीछे मकसद था। महापुरूषों के आन्दोलन का यही सच्चा इतिहास है। पंडे–ब्राह्मण हमारे इतिहास पर ढेरों बातें बकते हैं, सिखाते हैं परंतु सच्चा इतिहास सामने नहीं आने देते। प्रेरणा जागृत करना या प्रेरणाओं को कैद करना यह इतिहास के सच्चे झूठे साधनों पर निर्भर होते हैं। **ब्राह्मणों ने झूठा इतिहास थोपकर मूलनिवासी बहुजनों की प्रेरणा को कैद कर दिया।** चवदार तालाब का आन्दोलन यह लगभग एक दशक से ज्यादा समय कानूनी रूप से चला डा. बाबासाहब आम्बेडकर ने अपने लेटरहेड पर भवानी यह नागवंशीय कुलदेवता का चिन्ह और शिवाजी महाराज की तलवार की बोधचिन्ह भी इस्तेमाल करते थे। शिवाजी महाराज नागवंशी होने की वजह यह उनका भी सम्मान था। तिलक के अनुयायी और महाड के पण्डे यह चवदार तालाब के विवाद पर अदालत में फालतू युक्तिवाद कर रहे थे। ब्राह्मणों के लिए डा. बाबासाहब आम्बेडकर एक चुनौती बन गए थे। उसी समय में बाबासाहब ने खोती विधेयक भी लाया वह तो ब्राह्मणों के जनेऊ पर हमला था। उन्होंने तो उन की आर्थिक शोषण की नब्ज को ही काट डाला। इसका परिणाम हुआ की सारा मराठा और कुणबी समाज डा. बाबासाहब आम्बेडकर के साथ खड़ा हुआ। इस आन्दोलन से पाँच–पाँच हजार की संख्याओं में उस समय मराठा और कुणबियों की विशाल सभाएं हुई। और इन सभाओं में सारे ओबीसीओं ने डा. बाबासाहब आम्बेडकर यह हमारे नेता है यह जाहिर घोषित किया।

चवदार तालाब पानी पीने से ब्राह्मणों की दृष्टि से तालाब अपवित्र हो गया। उन्होंने उस तालाब का 'शुद्धीकरण' किया और आन्दोलन कर्त्ताओं पर हमला करने तक जुर्रत की। मगर हमला करने के लिए पण्डों ने यह तरकीब सोच निकाली कि अछूतों ने तालाब अपवित्र करने के बाद अब वे मंदिर को भी अपवित्र करने निकले हैं। ब्राह्मणों ने हमेशा छल, कपट और प्रतिजागृती का ही सहारा लिया। डा. बाबासाहब आम्बेडकर यह बहुत ही झुंजार नेतृत्व वाले थे। उस समय जैसी परिस्थिति पैदा हुई उसमें सामाना करने की रणनीति भी उन्होंने तुरंत बनाई। चवदार तालाब पर ब्राह्मणों ने न्यायालय से लाया ब्राह्मण बनाम अछूत इस तरह आन्दोलन चला रहा था उस पर ब्राह्मणों ने चालाकी से कानून चवदार तालाब पर स्टे लाकर यह लड़ाई अछूत बनाम अंग्रेज ऐसी कर दी। वह आन्दोलन दिशाहीन न हो इसकी खबरदारी बाबासाहब ने ली। सही मायने में वह बाबासाहब के नेतृत्व की कसौटी थी। बाबासाहब ने रणनीति बनाई, फिर से पासा पलट दिया और वह संघर्ष ब्राह्मण बनाम अछूत ऐसा करने के लिए मनुस्मृति जलाने का निर्णय लिया। बाबासाहब इसी वजह से ब्राह्मणों के लिए चुनौती सिद्ध हो गए। क्योंकि शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता बाबासाहब अम्बेडकर में थी।

'मनुस्मृति दहन' यह एक बहुत ही महान घटना इसी महाड में हुई। जिस जगह मनुस्मृति को जलाया गया उसी जगह को आज 'क्रांतिभूमि' नाम से जाना जाता है दि. 25 दिसम्बर 1927 के दिन मनुस्मृति जलाई गई। राष्ट्रपिता जोतिराव फुले ने एक जगह लिखा है कि, मनुस्मृति जलाने लायक ग्रंथ है और जलाने की भावना व्यक्त की थी, (जलाओ मनुग्रंथ अग्नी में) उस मनुस्मृति दहन से राष्ट्रपिता ज्योतिबाराव फुले जी की इच्छा भी पूरी हुई, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसी समय डा. बाबासाहब अम्बेडकर को मारने की साजिश की गयी थी। वह साजिश क्या थी इसका सिलसिलेवार जिक्र अगले प्रकरण में देखेंगे। परंतु डा. बाबासाहब अम्बेडकर यह ब्राह्मणी व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सिद्ध हुए थे। उस समय ब्राह्मणों के सारे अखबार उनके ऊपर भौंकते थे।

इस क्रांतिकारी कार्य में डा. बाबासाहब अम्बेडकर के साथ कौन–कौन थे? इस संदर्भ में आज भी लोगों को गुमराह किया जाता है। पूना के समाजवादी ब्राह्मणों का दिमाग अर्थात अड़ियल ब्राह्मणों का दिमाग! यह बदमाश लोग यह प्रचार करते हैं कि मनुस्मृति जलाने के क्रांतिकारी कार्य में ब्राह्मण भी थे। यह उनका कहना कितना झूठ था यह सबूत ही स्वंय बताते हैं। डा. बाबासाहब के साथ ब्राह्मण नहीं थे। चवदार तालाब के आन्दोलन में भी उन के साथ ब्राह्मण नहीं थे। कमलाकर टिपणीस, शांताराम पोतनीस, केशवराव देशपांडे, सहस्त्रबुद्धे, चित्रे यह लोग कायस्थ लोग थे। उन कायस्थों को ब्राह्मण कहकर प्रचार करने के पीछे ब्राह्मणों का हेतू लोगों को भ्रमिक करना होता है। जैसे की, आजतक इन्हीं पूना के बदमाश ब्राह्मणों ने कृष्णजी अर्जुन केलुसकर (कदम) यह मराठा व्यक्ति को ब्राह्मणों ने ब्राह्मण के नाम पर प्रचारित किया। वे कितने झूठे लोग हैं यह इसका सबूत है। और वे लोग यह भी गलत प्रचार करते है कि, अम्बेडकर यह उपनाम एक ब्राह्मण शिक्षक ने दिया। यह गलत प्रचार है। भोले–भाले लोगों को मूर्ख बनाने का यह अभियान है। यह तो ब्राह्मणीकरण है यह ध्यान रखो।

डा. बाबासाहब अम्बेडकर ने खुद मनुस्मृति जलाई कि ब्राह्मणों के हाथों जलायी इस तरह की गलत जानकारी लोगों में इसी पूना के समाजवादी ब्राह्मणों ने फैलाई। नरहर कुरूंदकर जैसे ब्राह्मण को मनुस्मृति जलाने पर बहुत ही दर्द महसूस हुआ। इसी प्रतिक्रिया

भावना से उस व्यक्ति ने आगे चलकर फुले–अम्बेडकरी लोगों को भ्रमित करने के लिए बाबासाहब के आन्दोलन का गलत ढंग से प्रचार किया। परन्तु हमारा यह दावा है कि उन के षड़यंत्र को नंगा करने का तंत्र हमारे पास है, कुरंदकर ब्राह्मण के चेले को तब हम इस मामले में छोड़ंगे नहीं।

उस समय पुणे के ब्राह्मणों को पेशवाई डूबने जितना दर्द नहीं हुआ उतना मनुस्मृति जलाने से हुआ। 'केसरी' अखबार तिलक के बाद न.चि. केलकर चलाते थे। उन्होंने डा. बाबासाहब आम्बेडकर के आन्दोलन के खिलाफ लोगों को भडकाने का तथा अफवाये फैलाने का बहुत बड़ा षड़यंत्र किया। ब्राह्मण महिलाओं को अपवित्र करना यही अछूतों के आन्दोलन का एकमात्र उद्देश्य है, इस तरह की अफवाएँ फैलाई। उसी तरह पिछड़े वर्ग को अछूतों के खिलाफ भड़काने का भी षड़यंत्र केलकर ने किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में भी बातें कही। केलकर और नारायणराव गुंजाल इन्हें दि. 29/10/1929 के केसरी अखबार में (पृ. 9) दि. 25 अक्टुबर को तुलसी बाग में सनातन धर्मीयों की सभा में विधायक गुंजाल का भाषण छापकर आया। उसमें उन्होंने जानबूझकर गलत अफवाऐं फैलाई जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्राह्मण कितने नीच थे। गुंजालने लोगों को भड़काया और कहा ''जिस बॅरिस्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जैसे हमारे अत्यंत पवित्र ग्रंथ को जलाया, जिन्होंने अत्यंत घमंडी बन के रायगड पर श्री शिवाजी छत्रपति महाराज का सिंहासन था उस पर जाकर वह बैठे और अपने आपको आधुनिक शिवाजी घोषित किया। और जिन्हें हिन्दू धर्म में रहने की भी शरम लगती है, वे मंदिर प्रवेश का आन्दोलन किसलिए चलाते हैं?'' ब्राह्मणों का ब्राह्मण धर्म खतरे में आया? मनुस्मृति जलाने से वह जलकर खाक हो गया इसीलिए मूल निवासी बहुजनों में आपस में ब्राह्मण अफवाओं के सहारे झगड़े लगाना चाहते थे। इस षड़यंत्र में तिलक अनुयायी अग्रणी थे। डा. बाबासाहब अम्बेडकर ने केसरी के सम्पादक नरसोपंत केलकर और नारायण गुंजाल इन दोनों को नोटिस भेजा। अंग्रेजी अखबार 'बॉम्बे क्रॉनिकल' ने गलत खबरे छापी। इसके खिलाफ भी बाबासाहब ने नोटिस भेजा। डा. बाबासाहब अम्बेडकर के चरित्रकार खैरमोडे ने खंड–3 में बहुत ही सटीक और सबूतों के साथ इस पर लिखा है। उस समय डा. बाबासाहब आम्बेडकर केलकर और गुंजाल इन दोनों पर फौजदारी मुकदमा दायर करने के संदर्भ में नोटिस भेजा था। ''परन्तु यह मामला कोर्ट तक नहीं पहुँचा क्योंकि श्री न. चि. केलकर इन्होंने कुछ लोगों को माध्यम बनाकर बाबासाहब के साथ समझौता किया, माफी मांगी।'' मनुस्मृति हिंदूओं के अनेक धार्मिक ग्रंथों में से एक ग्रंथ है और वह जलायी गयी है इसलिए हिंदूओं के मन को चोट पहुँची है, इस हेतू से सवर्ण हिदुओं ने डा. बाबासाहब आम्बेडकर और उनके सहयोगियों पर मुकदमा दर्ज किया नहीं। उन्होंने इस मुद्दे को बदल दिया। महाड का तालाब निजी है, इसलिए अछूतों का कोई हक नहीं बनता है कि वे उसका पानी पीए, ऐसा दाखिला दिया। सही मायने में देखा जाए तो मनुस्मृति जलाने की तुलना में वह तालाब के आन्दोलन की कृति उससे भी ज्यादा भंयकर है, ऐसा हिंदूओं ने मानना चाहिए था। ऐसा उन्होंने क्यों किया नहीं यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर ऐसा मानकर हिंदूओं ने बाबासाहब और उनके साथियों पर मुकदमा दर्ज किया होता और उसका क्या फैसला आता यह कहना जरा कठिन ही था। मगर यह निश्चित है कि ब्राह्मणों का तर्क मनुस्मृति को बचाने में कितना खरा उतरता है? मनुस्मृति को क्यों जलाया यह अगर केस बनाकर कोर्ट में मुकदमा दर्ज करते तो निश्चित ही डा. बाबासाहब आम्बेडकर ही वह मुकदमा जीत जाते। यह महत्वपूर्ण वारदात से बाबासाहब के नेतृत्व का भी परीक्षण हुआ और वे खरे उतरे।

उसके बाद पर्वती सत्याग्रह और कालाराम मंदिर का सत्याग्रह यह आन्दोलन बहुत ही चर्चा का विषय बना। इन आन्दोलनों के माध्यम से अछूतों का बहुत बड़े पैमाने पर जन जागरण हुआ। **मंदिर प्रवेश करने का आन्दोलन यह केवल मंदिर प्रवेश का आन्दोलन नहीं था वह तो ब्राह्मणी धर्म में जो विषमता है उसे नष्ट करने का वह आन्दोलन था। केवल ऊपरी बदलाव से जाति की क्रमिक विषमता समाप्त नहीं होगी। ब्राह्मणी धर्म में अन्याय को ही न्याय कहा है, और गुलामी को ही धर्म का नाम दिया है। उससे अगर आजाद होना है तो अलग से आन्दोलन चलाना होगा।** उसका बहुत बड़ा परिणाम दिखाई देना लगा।

जब मनुस्मृति दहन को पचास वर्ष पूरे हो गए थे तब पुणे के समाजवादी ब्राह्मणों को वह घटना याद आयी। जिससे उन्हें याद करने से भी झटका लगता था। इसके पहले कुरूंदकर नाम के ब्राह्मण का हमने जिक्र किया है वह उसमें प्रमुख थे और उनके साथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी भी थे। खास बात यह है कि यही लोग विश्वविद्यालय के नामांतर के नाम पर मराठवाडा में जातिय दंगे भड़काने में प्रमुख थे। नरहर कुरूंदकर इस व्यक्ति ने दि. 15 अप्रैल 1978 को परभणी में एक भाषण दिया और उस भाषण में कुरूंदकर ने मनुस्मृति जलाने की क्रांतिकारी घटना को विकृत करने के लिए अफवाऐं फैलाने का षड़यंत्र शुरू किया। कुरूंदकर यह व्यक्ति सारे विकृतियों का घर था। उस समय उन्होंने यह अफवा फैलाने का काम किया की, डा. बाबासाहब आम्बेडकर ने जब मनुस्मृति जलाई तब वहाँ पर लक्ष्मणशास्त्री जोशी भी मौजूद थे, और ब्राह्मणों के हाथों ही बाबासाहब ने मनुस्मृति जलायी। पहली बात तो लक्ष्मणशास्त्री जोशी वहाँ मौजूद नहीं थे। दूसरी कुरूंदकर ने यह प्रचार करना कि वह ब्राह्मण ने ही जलायी यह प्रचार करने के पीछे बाबासाहब आम्बेडकर और उनके आन्दोलन के सहयोगी ब्राह्मण भी थे, यह उनका मकसद था। कुरूंदकर का वह भाषण 'अजिंठा' नाम के उस समय के औरंगाबाद के अखबार में छपा। मगर वह खबर पढ़ते ही डा. बाबासाहब आम्बेडकर की पत्रकारिता के सबसे बड़े जानकर तथा विद्वान जाने माने रतनाकर गणवीर ने वह खबर पढ़ते ही बड़े ही चालाकी से लक्ष्मणशास्त्री जोशी को खत लिखा। वह लक्ष्मणशास्त्री जोशी की चोरी को पकड़ना चाहते थे। जोशी ने भी जवाब भेजा। उन दोनों के खत उन्होंने 'महाड समता संगर' के एक रिसर्च बुक में छापा और कुरूंदकर तथा लक्ष्मणशास्त्री जोशी को दुनिया के सामने नंगा किया। उनका वह खोज ग्रंथ मूलनिवासी बहुजनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणवीर और जोशी इन दोनों का वह पत्राचार 'तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, व्यक्ति कार्य और विचार' इस जोशी के गौरवग्रंथ (1996) में छपा भी है। वह पत्राचार यहाँ पर हम दे रहे हैं। ताकि ब्राह्मणों का षड़यंत्र लोगों के समझ में आए।

साभार :

बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या किसने, क्यों और कैसे की पृ.सं. 48 से 54 तक। लेखक : विलास खरात

''महारों को अछूत क्यों मानते हैं?''

अस्पृश्यता का उद्‌गम ब्राह्मणी धर्म और बौद्ध धर्म इन के संघर्ष में छुपा हुआ है। यह मेरा जवाब दिखने में विस्मयकारक है, परंतु वास्तव में वही सच्चाई है। इसलिए बौद्ध धर्म के तत्वों की चर्चा करना बहुत जरूरी है बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा विरोध आर्यों के 'यज्ञ' इस संस्था से था। यज्ञ में गायों की बलि दी जाती थी। गाय यह प्राणी आर्यों के वित्तव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। (वह संपूर्ण भारत की ही अर्थव्यवस्था का हिस्सा थी–संपादक) गायों पर ही कृषि व्यवस्था निर्भर थी। गायों का दूध जनता के पोषण के लिए तो उपयुक्त था ही साथ में गाय से जो बैल पैदा होते थे उनसे खेती जोती जाती थी। गोहत्या के लिए बुद्ध का जो विरोध था वह तत्वज्ञान के स्तर पर था। परंतु आम लोगों को यज्ञ के लिए ब्राह्मणों के द्वारा की जा रही हत्या ही दिखायी दे रही थी। इसलिए गाय की ओर समाज पहले उपयुक्तता की दृष्टि से देखने लगा और बाद में पवित्रता के भाव से देखने लगा। समाज ने ब्राह्मणों के द्वारा की जानेवाली गोहत्या बंदी का विरोध किया जिससे ब्राह्मणों का जो सर्वोच्च स्थान था वहीं नष्ट हुआ। नष्ट हुआ स्थान पुनः प्राप्त करने के लिए उन्होंने जनता को बौद्ध धर्म से अलग करने की ठानी। बौद्धों ने गायों के संबंध में जो आदर निर्माण किया था वह जनमानस में बहुत गहराई तक स्थापित हो गया था। ब्राह्मणों के सामने उनका यज्ञ–विधि बंद करके बौद्धों की तरह ही उनका आदर और पूजा का स्थान गाय को देना यही एकमात्र विकल्प उनके सामने बचा था।

बौद्ध धर्म के साथ संघर्ष करने के पीछे ब्राह्मणों की किसी भी तरह की धार्मिक भावना नहीं थी। उन्हें तो पहले जनता पर जैसे उनकी अधिसत्ता और वर्चस्व चलाना था और उससे उन्हें प्रतिष्ठा मिलती थी वहीं उन्हें फिरसे प्राप्त करना था। वही प्रतिष्ठा बौद्ध भिक्खूओं के पैर के सामने आ गयी थी। ब्राह्मणों को यह पता था की, पूर्वप्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए बौद्धो से आगे एक कदम जाना होगा। उसके लिए उन्होंने यह तय किया कि वे केवल गोहत्या ही रोकेंगे नहीं तो वे किसी भी प्राणियों की या जीव जंतु की हत्या नहीं करेंगे। **शाकाहार का नाटक यह उन्होंने बौद्धों पर विजय हासिल करने के लिए शुरु किया, यही उसके पीछे उद्‌देश था।**

इस संदर्भ में एक बात ध्यान रखनी चाहिए की, बौद्ध धर्म के पहले सारे वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र गोमांस खाते थे उसमें तिरस्करनिय (द्वेषात्मक) कुछ भी नहीं था। गाय भी भेड़–बकरियाँ या हिरन इसकी तरह का एक जानवर है ऐसा माना जाता था। इसलिए वर्ण से भिन्न लोग भी मांसाहार के सम्बन्ध में एक ही विचार के लोग थे। मगर इसमें एक बात की भिन्नता थी की, कुछ लोग (अमीर) हत्या किए हुए जानवर का मांस खाते थे तो कुछ लोग (गरीब) यह मृत जानवर का मांस खाते थे। शायद गाँव का प्रमुख व्यक्ति गाँव के बाहर रहनेवाले भग्न कबीले के लोगों का गाँव के सुरक्षा का हिस्से के रूप में मरे हुए जानवर विनामूल्य देता होगा। सम्राट अशोक के आदेश (शिलालेख) के पहले सारी जनता गोमांस खाती थी, मगर फर्क सिर्फ इतना था कि जिंदा गाय का या मृत गाय का यह फर्क पूरा याद रखना होगा। उसे कोई धार्मिक वजह नहीं थी तो ''खानेवाला अमीर है या गरीब'' यही थी। सम्राट अशोक के बाद इस आहार में बहुत बदलाव हुआ। गोहत्या एक तो लोगों ने स्वेच्छा से छोड़ दी होगी या फिर सरकार ने वैसी सक्ती की होगी। वो जो भी कुछ वजह हो, गाँववालों ने गोमांस खाना बंद कर दिया। क्योंकि गोहत्या पर बंदी होने की वजह से वह मिलता ही नहीं था। इसके उल्टा गाँव के बाहर रहनेवाले लोगों ने मृत गाय का मांस खाना शुरु ही रखा क्यों कि उसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं थी। **परंतु इन दो लोगों में जो फर्क दिखता है वह केवल आर्थिक आधार का ही नहीं थोड़ासा धार्मिक अर्थ भी था। गोहत्या अब धार्मिक दृष्टि से एक घृणा का विषय बन चुका था। इसी वजह से मृत गाय का मांस खानेवाले भी घृणा के पात्र बन गए थे। अस्पृश्यता का सम्बन्ध घृणा से है। वह गाय के प्रति उनके आदर और अनादर के आश्वासन से भी था। ब्राह्मणों ने अब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही गाय का आदर करके उसकी पूजा करने की ठानी थी। यह भावना आगे चलकर इतनी बढ़ा दी गयी कि, जो लोग गाय को पवित्र नहीं समझेंगे उन्हें अछूत या सहवास के लिए अपात्र घोषित किया गया।**

उपरोक्त कारणों से ही अस्पृश्यता का उगम हुआ। और उसी से महार लोग अछूत हुए। यह बात किसी को भी दिखाई दे सकती है। उसी तरह किन–किन पेशों के लोगों को अछूत होना पड़ा यह भी देखा जा सकता है। बाद में पूरे भारत में अछूतों को वही उद्योग करने वाले ही जाना गया। मरे हुए जानवर को उठाना, उनका मांस खाना और उनकी हड्डीयाँ बेचना। सारे प्रांतों में यही उनका रोजगार समान था। मृत गाय और अस्पृश्यता। इनमें यह घनिष्ठ सम्बन्ध क्यों है? इसकी वजह मेरे अनुसार यही है कि, बौद्धों ने गाय को पवित्र जानकर माना इसलिए हिन्दूने भी गोमांस वर्ज्य मानने लगे। फिर भी कुछ लोगों ने गोमांस खाना (मृत गाय का भी क्यों ना हो–संपादक) बंद नहीं किया। इसलिए उन्हे अछूत मानने लगे। महारोंने मृत गाय का मांस खाना नहीं त्यागा। इसलिए उन्हें अछूत कहा गया।'' डा.बाबासाहब ने इस तरह यह रहस्योद्‌घाटन किया और इतिहास से पर्दा हटा दिया।

ब्राह्मण गोमांसभक्षी थे और उस पर उन्हें गर्व भी था। आपस्तंभ सूत्र से स्पष्ट होता है की, ब्राह्मणों के अलावा कोई अतिथि ही नहीं हो सकता। ''ब्राह्मणों के दृष्टि से अब्राह्मण व्यक्ति कभी भी अतिथी नहीं हो सकता। किसी क्षत्रिय को यज्ञ में निमंत्रित किया तो ब्राह्मण के बाद ही उसे भोजन दे। और दूसरे अन्य लोग अर्थात वैश्य और शूद्रों को दयाबुद्धी से नौकरों की तरह भोजन दें'' और ''ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय अतिथि के रूप में आए तो उसे बैल अथवा बकरा काटकर खिलाए।'' कुछ वैदिक धर्मसूत्रों में यहाँ तक कहा है कि गर्भधारण की हुई गाय को ढूंढा जाए और उसके पेट के अंदर जो बछड़ा है उसे ही काटकर ब्राह्मण अतिथि को खिलाएँ यही धर्मशास्त्र का आदेश! इसके उलटा शूद्र अगर आ जाए तो उससे शरीर कष्ट का काम करा ले। और उसका मुनाफा उसे क्या मिलेगा? तो बासा और झूठा खाना। अगर ताजा खाना देना पड़े तो उसे दातो के अंदर जो गंदगी है उसे निकालकर खाने में मिलायी जाए। ऐसे इन ब्राह्मणी वैदिक सूत्रों को हृदय से

मिलाए पैर तले कुचला जाए? ऐसे ब्राह्मणी धर्म को क्यों त्यागना नहीं चाहिए?

बाकी बची धार्मिक और सामाजिक मुद्दो की चर्चा हम आगे करने वाले ही है। अब तक डा. बाबासाहब आम्बेडकर गांधी और कांग्रेस के लिए चुनौती कैसे बन गए इस की चर्चा यहाँ करते हैं।

हमने पिछले पन्नो में देखा की, डा. बाबासाहब यह सक्षम नेतृत्व के रुप में उदय में आए। साऊथ ब्युरो कमीशन से लेकर सायमन कमीशन के समय उन्होंने जो मेमोरण्डम और साक्ष दिए यह उनके नेतृत्व का परीक्षण (टेस्ट) था। एक तरह से उन्हें यह भी देखना था कि, डिप्रेस्ड क्लास को शेषकों के चंगुल से बचाया जाए। दूसरी तरफ उसके साथ खुली चुनौती मानकर संघर्ष भी करना पड़े तो संघर्ष किया जाए। कांग्रेस और गांधी इन ब्राह्मण–बनिया गठजोड़ने देश की शोषित जनता का कल्याण करने के बजाए मुठ्ठीभर लोगों का बहुसंख्यांक लोगोंपर वर्चस्व कैसे रहे इसकी पूरी योजना बनाई थी। गांधीने 'यंग इंडिया' में दि. 20 अक्टुबर 1920 को 'अछूतोंका' किस तरह से फायदा होना चाहिए यह घोषित किया। उन्होंने उसमें यह भी लिखा था की, ''मुझे यह दिखाई दे रहा है कि पंचम लोगों में कोई भी नेता नहीं है, जो उन्हें असहयोग के आन्दोलन के माध्यम से विजय प्राप्त कराके दे।'' गांधीचा 'असहयोग' यह ब्राह्मण–बनिया के लिए हमेशा की सुरक्षा की हमी थी उसके माध्यम से गांधीने अंग्रेजो पर दबाव बनाया और ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित किया। डा. बाबासाहब अम्बेडकर यह केवल अछूतों के ही नेता नहीं, वे मूलनिवासी बहुजनों के नेता थे। शाहू महाराज की भावना बाबा साहब ने सही करवाई।

सायमन कमीशन को गांधी और कांग्रेस ने किस प्रकार विरोध किया था इसका विवेचन हम पहले कर चुके हैं। प्रतिनिधित्व का हक–अधिकार इस देश की जनता को न मिले इसके लिए गांधी के कहने पर लाला लाजपतराय ने विरोध किया और मरते दमतक किया। उन्हें लाठी लगी और वे उसी में मर गए। सायमन कमीशन की रिपोर्ट पेश होने के बाद ब्रिटीश सरकार इस नतीजे पर पहुंची की, भारत के स्वायत्त शासन और विधिमंडलों की प्रक्रिया के लिए राऊण्ड टेबल कॉन्फरन्स निमंत्रित की जाए। उसमें 89 सदस्यों को निमंत्रित किया गया था। उसमें 16 सदस्य यह ब्रिटन के तीनों दलों के थे। उसमें ब्रिटिश भारत के विभिन्न दलों के 53 प्रतिनिधी थे। और उसमें संस्थापिक राजाओं की भी उपस्थिति थी। पहले राऊण्ड टेबल कॉन्फरन्स में कांग्रेस ने किसी भी प्रतिनिधी को भेजा नहीं। डा. बाबा साहब आम्बेडकर 4 अक्टुबर 1930 को मुम्बई से लंदन पहुंचे। 14 दिन का सफर करने के बाद वे 18 अक्टूबर को लंदन पहुंचे। 12 नवम्बर 1930 को गोलमेज परिषद का इग्लैंड के बादशाह के हाथों उद्घाटन हुआ। उन्होंने वहाँ पर घोषणा की, ब्रिटिश राजनितिज्ञ और भारतीय प्रतिनिधी इस जगह इकट्ठा बैठकर भारत के भविष्य में बनने वाले संविधान पर विचार–विमर्श करेंगे। उसके बाद 17 नवम्बर को परिषद का आरंम्भ हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्से मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में परिषद का आरम्भ हुआ। परिषद की पाँचवी बैठक (दि. 20 नवम्बर, 1930) में दो वक्ताओं के बाद डा. बाबा साहब आम्बेडकर ने परिषद के समक्ष सबको चौंकानेवाला भाषण दिया। उनके अभूतपूर्व भाषण से वे गोलमेज परिषद में सबके चर्चा का विषय बन रहे। इस परिषद में बाबा साहब ने बड़े जोर से कहा की, ''शोषित वर्गों का यह अनिवार्य निष्कर्ष है, अर्थात भारत की नौकरशाही सरकार, जहाँ तक हमारी विशेष समस्याओं का सम्बन्ध है। किसी भी तरह का परिवर्तन करने में शक्तिहीन रहेगी। हम यह अनुभव करते हैं कि, कोई हमारे दुःखों को उस प्रकार ठीक तरह से दूर नहीं कर सकता, जिस प्रकार कि हम स्वयं कर सकते हैं, और हम उनको तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक की राजनीतिक शक्ति हमारे हाथों में न हो।'' उस शक्ति के सिवा हम अपनी समाज का भला भी नहीं कर सकते?

डा. बाबासाहब ने अपने भाषण में जातिव्यवस्था की क्रमिक विषमता का भी जिक्र किया। जिसकी वजह से शोषित लोगों को शोषक लोगों के जाल में फांसकर समता, भाईचारा, का गला दबाया जाता है। वहा पर उन्होंने मानो शेर की गर्जना ही की हो, ''शोषित वर्ग अपनी सुरक्षा और अपने संरक्षण के लिए, राजनीतिक तंत्र का जैसा सामंजस्य चाहते हैं। वह मैं इस परिषद के समक्ष ठीक समय पर प्रस्तुत करुंगा। इस समय, मै जो कुछ कहना चाहता हूँ, यद्यपि हम जिम्मेदार सरकार चाहते है। उसपर भी हम ऐसी सरकार नहीं चाहते, जिसका अर्थ केवल मालिकों को बदल ने से है। यदि आपकी सरकार की कार्यकारणी पूरी तरह जिम्मेदार होने जा रही है तो, विधायकों को भी पूरी तरह प्रतिनिधित्व पूर्ण होने दीजिए।

पहले राऊण्ड टेबल कॉन्फरन्स (आरटीआय) में डा. बाबासाहब आम्बेडकर के सिद्धातों का तथा विचारों का प्रभाव हुआ था। गांधी को निमंत्रण नहीं था फिर भी वे दूसरी गोलमेज परिषद में उपस्थित हुए थे। गांधी ने वहाँ भी 'महात्मापन' का नाटक किया। अपने साथ दो इटालियन बकरीयों को साथ में ले जा कर उन्होंने अपनी इज्जत को दुनिया के सामने नीलाम किया। सन 1913 में जब गांधी दूसरी गोलमेज परिषद में उपस्थित थे तब गांधी ने यह दावा किया की, मैं ही अछूतों का असली नेता हूँ। बाद में उनकी यह जिद उनके लिए समस्या बन गई। इसी वजह से गांधी और कांग्रेस के लिए डा. बाबासाहब आम्बेडकर एक चुनौती बन गए। दूसरे गोलमेज परिषद में बाबासाहब कानूनन जीत ली। गांधी भी तो वकील थे मगर वे चार बार मैट्रीक फेल वकील थे। जब भारत के भावी संविधान की चर्चा हो रही थी, तब गांधी मनुराज की वकिली कर रहे थे। गांधी उस समय आरएसएस का भी अजेंडा चला रहे थे। आरएसएस तो कांग्रेस की ही पैदाईश थी। कांग्रेस ही आरएसएस की जननी है। इसके कई सारे सबूत हमारे पास हैं। उदाहरण के तौर पर एक जानकारी यहाँ हम देना चाहेंगे। दिलीप देवधर यह आरएसएस का महाराष्ट्र का थिंग टैंक में एक व्यक्ती हैं उनका संघ और कांग्रेस का नाता कितना अटूट था इसका सबूत यह है –

''डा. हेडगेवार :– 1925 में संघ की स्थापना करने के बाद 1930 में नमक सत्याग्रह के समय भारतीय राजनीति के महौल में काफी बदलाव हुआ। उस समय डाक्टर हेडगेवार ने सरसंघ चालक पद डा. परांजपे को सौंपा। खूद के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह (विदर्भ में नमक बनाने की व्यवस्था नहीं थी इसलिए वहाँ पर जंगल सत्याग्रह किया गया) स्वयंसेवकों को भारी संख्या में गांधी के आन्दोलन के समर्थन में उतारा। डाक्टर समेत सभी स्वयंसेवक को एक साथ जेल हिरासत में रखा गया। उनका 1940 में निधन न हुवा होता तो डॉक्टर हेडगेवार होते तो वे 1942 के आन्दोलन में शामिल होते। वे अगर जिंदा होते तो 1930 का ही फार्मुला उन्होंने इस्तेमाल किया होता, ऐसा मेरा यकीन है।

गांधी यह उस समय संघ परिवार की ही बात को गोलमेज परिषद के समक्ष रख रहे थे। गांधी को दरअसल कहना क्या है यही वहाँ मौजूद लोगों का सवाल था। गांधीजी ने अछूतो को अधिकार न देने के लिए पूरी शक्ति दाव पर लगा दी। गांधी ने क्या–क्या षड्यंत्र किया उसके ऐतिहासिक दस्तावेज डा. बाबासाहब आम्बेडकर ने ग्रंथ के रूप से प्रकाशित किया था। गांधीने अपनी हरकतें इतने हद तक लेके गए की, गांधी ने साफ शब्दों में कह दिया की, मैं शिक्खों को मुसलमानों को, खिश्चनों को, अँग्लो इंडियन लोगों को स्वतंत्र मतदार संघ दूंगा मगर अछूतों नहीं दूंगा। गांधी का यह नाटक सारी दुनिया के सामने आया। मैं ही केवल अछूतों का नेता हूँ यह उनका दावा झूठा तब साबित हुआ जब गांधी के समर्थन में केवल एक ही टेलीग्राम (तार) आया। यहाँ तक लोगों ने अपने खून से लिखकर भेजा कि डा. बाबासाहब आम्बेडकर ही हमारे नेता है। उसमें महाराष्ट्र, पूणे, उत्तर प्रदेश, मद्रास, पंजाब, मध्यभारत, बंगाल, बिहार यहाँ से हजारो टेलीग्राम बाबासाहब के नाम से भेजा गया। अछूतानंद जी ने गाँव–गाँव में घूमकर अकेले ने 500 टेलीग्राम बाबासाहब को भेजी थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं एक टेलीग्राम को खर्चा 50 रुपया आता था। 50 रुपये उस समय हमारे निर्धन लोग कितने स्वाभिमानी थे यह उसका सबूत है। क्योंकि उन लोगों को ढाई हजार साल में ऐसा महापुरूष मिला था, ऐसा नेता मिला था। उनपर सारे लोगों का यकीन था की, वहीं उन्हें आजाद करायेंगे। गोलमेज परिषद के सम्बन्ध में बाबासाहब ने ही खुद ढेर सार लिख रखा है, उस पर अलगसे लिखने की कोई जरुरत नहीं है। परन्तु उस सम्बन्ध के दस्तावेजों में कुछ मनोरंजक चर्चा यहाँ पर देते हैं –

उन दस्तावेजों में डा. बाबासाहब आम्बेडकर नायक के रूप में स्पष्ट दिखाई देते हैं और खलनायक के रूप में मोहनदास करमचंद गांधी! बी.बी.सी. वर्ल्ड, लंदन को मुलाकात देते समय बाबासाहब ने (1955) कहा था की, मैं जितना गांधी को समझता हूँ, उतना देश और दुनिया में कोई भी नहीं समझता है। गांधी को मिलने वाले सारे भक्त हो हैं मैं तो गांधी का विरोधक के रुप में मिलता हूँ, तब गांधी अपने विषैले दांत मेरे सामने निकलते है। यही वास्तविकता है।

मैं ही अछूतों का असली नेता हूँ ऐसा गांधी कहते थे और अछूतपन का भी समर्थन करते थे। गांधी का प्रतिनिधित्व को ही वास्तव में विरोध था। वोट का अधिकार प्राप्त करके डा. बाबासाहब आम्बेडकर ने महिलाओं को भी स्वतंत्र पहचान दी। जब डा. बाबासाहब ने आम्बेडकर ने वोट का और प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त किया तब गांधी और उनके टट्टूओं ने अपने गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरु किया। गांधी वोट का ही अधिकार नकारा। और यह कहा कि, भारत के लोगों को यह अधिकार न दो वे अशिक्षित हैं गांधी ने यह भी कहा कि वोट का अधिकार यह संस्थानिक राजा–रजवाडों को दो यह मामला उनके लिए छोड़ दो। गांधी मनुराज की स्थापना करना चाहिते थे। डा. बाबासाहब आम्बेडकर यह केवल अछूतों की ही लड़ाई नहीं लड़ रहे थे बल्कि वे पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने कहा, ''अपनी बहस समाप्त करने के पहले मैं अपने उन मित्रों से एक–दो बाते कहना चाहता हूँ जो हमें वयस्क मताधिकार देना नहीं चाहते। मैने अपने भाषण के प्रारंभ में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि, भारत को उत्तरदायी सरकार देने का प्रश्न पूर्णतः इस प्रश्नपर निर्भर नहीं है। हालांकि मैं जानता हूँ कि 80 या 90 लोगों के इस सम्मेलन में मै और मेरे मित्र केवल दो ही है, जो कि 5 करोड़ 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते है।''

गांधी ने तो उस समय बहुत ही षड़यंत्र किया। गांधी ने संस्थानिकों को मताधिकार का अधिकार देना चाहिए यह मांग रखा। गांधी ने सारे भारतीय जनता का घात किया। गांधी और कांग्रेस ने चलाया हुआ आजादी का आन्दोलन 'ब्राह्मण–बनियों' का राज स्थापित करना यही था। इस विषय पर आज भी पर्दा डाला गया है। उसे उठाना जरुरी है। डा. बाबासाहब आम्बेडकर ने 19 जनवरी 1931 को आठवी मिटींग में ऐसे ब्राह्मणी 'देशभक्त' और 'राष्ट्रवादी' खुद को कहनेवाले ठगों को आड़े हाँथ लिया। उस समय अंग्रेजो को संबोधित करते समय कहा, ''प्रधानमंत्री महोदय, मुझे यह कहने की अनुमति दीजिए कि यदि ऐसा आपने हमें, उन लोगों की दया पर छोड़ दिया जिन्होंने हमारे कल्याण में कोई रूचि नहीं दर्शायी है। और जिन की समृद्धि और महानता हमारे विनाश और अधोगति पर टिकी हुई है, तो शोषित वर्ग इस महामहिम की सरकार द्वारा किया गया महान विश्वासघात मानेंगे।''

आगे उन्होंने यह भी कहा कि तथाकथित आजादी भेष धारण करनेवालों को जोरदार पीटा। ''अपने इस कथन के लिए भारत के राष्ट्रवादी और देशभक्त मुझे संप्रदायवादी कहेंगे। लेकिन मैं इससे नहीं डरता। भारत में देशभक्त और राष्ट्रवादी वह माना जाता है जो अपने बंधुओं के साथ अमानुषिक व्यवहार होता देख सके और उसकी मानवीयता विरोध में न खड़ी हो। वह जानता है कि, पुरूष–स्त्रियों को अकारण ही उसकी मानवीयता वंचित रखा जाता है, लेकिन उसका नागरिकाता बोध उसे किसी उपयोगी कार्य के लिए नहीं उकसाता और देखता है कि एक पूरे वर्ग के लिए लोक नियोजन के द्वार बंद हैं। लेकिन यह देखकर भी उसका न्याय और ईमानदारी का बोध नहीं जागता। वह देखता है कि ऐसे सैंकडो रिवाज समाज में प्रचलित है, जो मनुष्य और समाज को क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन उसमें जुगुप्सा (उत्कटभाव) उत्पन्न नहीं होता। देशभक्त की एक पुकार में जो शक्ति होती है, मुझे खुशी है की, मैं देशभक्तों के उस वर्ग का नहीं हूँ। (ब्राह्मण–बनिया वर्ग) मेरा सम्बन्ध तो उस वर्ग से है, जिसका लोकतंत्र के प्रति एक सुस्पष्ट दृष्टिकोण है। और जो एकाधिकार को समूल नष्ट करने के लिए दृढसंकल्पित है। हमारा लक्ष्य जीवन के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों में एक व्यक्ति, एक मूल्य के आदर्श का प्रतिफल देखना है।'' आखिर में बाबासाहब ने स्पष्ट रुप से कह दिया– ''शोषित जनता के लिए कुछ और ठोस, कुछ और स्पष्ट आश्वासन चाहिए। हो सकता है कि आप मेरी बातों की इसलिए उपेक्षा करें कि इन से मेरे अनुचित संदेहों की गंध आती है। इसका मेरे पास यही जवाब है कि, किसी बात के प्रति चिंतित होने के लिए उपेक्षा का पात्र होना अत्याधिक आश्वासन के हाथों नष्ट हो जाने से कही बेहतर है।''

डा. बाबासाहब आम्बेडकर की निर्भयता पूर्ण भूमिका से गांधी और कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया। बाबासाहब ने गोलमेज परिषद में शोषित जाति (डिप्रेस्ड क्लास), आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) इनकी लड़ाई अकेले के भरोसे पर लड़ी। उस समय गांधी ने ओबीसी को अधिकार वंचित करने के लिए उनका 'देशभक्ति' के नाम पर इस्तेमाल किया और बाद में फेंक दिया।

गांधी अछूतों को संवैधानिक हक–अधिकार न मिले इसके लिए मुस्लिम लीग के लोगों को अकेले में खाना खाने के लिए निमंत्रित किया और कोरे कागज पर साईन करके कहा कि, आपको क्या चाहिए वह मैं देने के लिए तैयार हूँ, परंतु गोलमेज परिषद में आप डा. बाबासाहब आम्बेडकर की मांग को विरोध करो। और मेरा साथ दो।

गांधी ने इतने नीच स्तर पर जाकर षड़यंत्र किया। और वे वहीं तक रुके नहीं, तो उन्होंने यह धमकी भी दी कि, अछूतों को प्रथक निर्वाचन क्षेत्र अगर मिल जाता है तो मैं मेरे जान की बाजी लगा दूँगा। हिंदू धर्म यह दरार करने का काम हैं। इससे हिंदुत्व खतरे में है। ऐसा उन्होंने कहकर गांधी ने संघ परिवार की भी बात रखी। अछूत अगर धर्मांतर करके मुसलमान बन या खिश्चन बने तो भी उन्हें संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए सभी ताकत इकट्ठा करके मुझे यही कहना है कि, इस बात का विरोध करते हुए अगर मैं अकेला भी रहा तो मैं मरते दम तक विरोध करुंगा।

डा. बाबासाहब आम्बेडकर लड़ाई जीत रहे ये देखकर गांधी ने स्वराज्य के हक की मांग का भी खुलकर विरोध किया और फिलहाल प्रांतिक स्वायतत्ता (Provincial Autonomy) मिली तो भी चलेगा ऐसी बात प्रधानमंत्री को कह भी डाला, और अपने सहयोगियों की इसपर राय भी नहीं लिया। गुप्त खबर आखिर लीक हो गई। तब मालवीय, जयकर, डा. मुंजे के साथ सारे के सारे भयचकित हुए।

''गांधीजी अंग्रेज वस्तादों के द्वारा हजम किए जा चुके थे। लॉर्ड लोहियन के साथ गांधीजी ने गुप्त करार लिया था। और उसका पहला हप्ता प्रांतिक स्वायतत्ता गांधी ने पहले ही कबूल किया। इसके पहले ही मैने जिक्र किया है। यह गुप्त करार करते समय प्रांतिक स्वराज्य के प्रतिनिधी और संस्थानिकों के प्रतिनिधियों को बुलाकर फेडरल संविधान का मुसौदा (ड्राफ्ट) तैयार किया जाए इसकी एक धूर्तता पूर्ण शर्त गांधीने रखी थी। ब्रिटीश सरकार ने यह शर्त स्वीकार करने से इन्कार किया परंतु गांधीजी के इस गुप्त कबुली का सरकार ने भरपूर फायदा उठाया और उसे उजागर भी किया। इस गुप्त षड़यंत्र की खबर सप्रु जयकर इत्यादी समस्त नेताओं को पता चली तो वे गांधी के ऊपर बहुत गुस्साए और गांधी से झगड़ा भी हुआ विशेषतः बॅरि. जयकर तो गांधी के इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर गांधी की इज्जत उतारी। गांधीजी इससे इतने गुस्सीले हो गए और जोर से चिल्ला बैठे बॅरि. जयकर को गांधी ने कहा कि मैं जैसा चाहू वैसा कर सकता हूं और मैं जो करुंगा उसे कांग्रेसी लोग मुंडी हिलाकर मेरा ही समर्थन करेंगे'' यह भरोसा जताया। मगर अखबारों से यह षड़यंत्र बाहर आने की वजह से उस गुप्त करार के बाहुपाश से सही सलामत बाहर निकलते समय गांधी की जान निकल रही थी।''

गांधी को भी अंग्रेजों का बगलबच्चा या अन्य कोई भी विशेषण दे तो वह उनका सम्मान होगा, परंतु उन्हें फालतु का महान देशभक्त या महात्मा कहना यह उनका अपमान ही होगा।

1 दिसम्बर 1931 का दूसरे गोलमेज परिषद का काम समाप्त हुआ और 8 महीने के बाद अंग्रेज सरकार ने बुधवार 17, अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड जाहीर कर दिया। गांधी ने गोलमेज परिषद के उस करारनामे पर हस्ताक्षर किया था, कि कानूनन जो निर्णय बनाया जाएगा उस पर उनकी संमति होगी। परंतु गांधी तो कानून को ही नहीं मानते थे। गांधी न संत थे और न महात्मा। वे तो पाखंडी थे, धोकेबाज सैतान थे। गांधी वंशवादी थे। वे खुद को शंकराचार्य मानते थे। उनका जो पोषाख था वह शंकराचार्य के पोषाख की प्रतिकृति था। कम्युनल अवार्ड से बाबासाहब ने सारे अधिकार प्राप्त किए। इस प्रसंग पर उनकी खुद की यहा टिप्पणी थी कि, ढाई हजार साल की गुलामी में पहली बार हमें आजादी की चाह में राह पैदा हुई। वह एक बिजली की तरह पक्का था। उसका जो पलभर उजाला जो था उससे तो एक अवसर प्राप्त हुआ था। डा. बाबासाहब आम्बेडकर मुख्य चार मांगे जीती थी।

(1) पृथक निर्वाचन
(2) प्रौढ मताधिकार
(3) दो वोट देने का अधिकार
(4) लोकसंख्या के अनुपात प्रतिनिधित्व

यह अधिकार डा. बाबासाहब आम्बेडकर को न मिले इसके लिए गांधी ने गुप्त करार भी किए थे। आपको यह पढ़कर भी आश्चर्य होगा कि गांधीजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था की, **''इन अछूत और मुसलमान गुंडों को अगर संवैधानिक अधिकार मिलेंगे तो मैं ऐसी आजादी पर लात मारुंगा।''** गांधी और कांग्रेस के प्रति अनुकंपा रखने वाले लोगों को यह बात किसी भी तरह से शर्म नहीं लगती होगी तो उन्होंने राजघाट पर जाकर गांधी के समाधी के सामने दो-चार बेशर्मी के भजन गाए कोई हर्ज नही! और एक सबूत यहाँ हम देना चाहेंगे कि, महादेवभाई देसाई की डायरी (सप्टेंबर से दिसम्बर 1931) में ही सी.राजगोपालचारी और जे.सी.कुमारप्पा इनके द्वारा संपादित करके 1932 में ही प्रकाशित की गई थी। भारत की जनता को और अछूतों को प्रौढ मताधिकार क्यों नहीं दिया जाए? इस पर गांधीने जवाब दिया की, वे मूर्ख हैं। ऐसा ही उसमें छापा गया है। ऐसा गांधी को लोग सिर पर लेकर नाचते हैं। जिन्होंने हमारे पिढी दर पिढी का सत्यानाश करने की शपथ ली थी। उसी प्रतिज्ञा को उन्होंने 'पूना करार' से पूर्ण किया।

गांधीजी खुद को अहिंसावादी कहते थे परंतु वे सबसे बड़े हिंसावादी थे। उनका अनशन हमेशा मरने के पहले टूटता था। गांधी के उस अनशन के बारे में बाबासाहब ने अलोचना करते हुए कहा कि, ''गांधी ने जो आमरण अनशन किया वह मरने के लिए नहीं, वे तो जिंदा रहना ही चाहते थे।'' गाधी तो 120 वर्ष जिंदा रहने का दावा करते थे। गांधी का समग्र साहित्य हमने पूरी तरह पढ़ लिया है। गांधी के साहित्य में और खतों में केवल और केवल कूटनीति तथा षड़यंत्र का उन्माद भरा था। गांधी जब अनशन पर बैठे तब थोड़े ही दिन में उनकी हालत बहुत पतली हो गयी। गांधी का वजहन 46 किलो था। उपोषण शुरु करने दो दिन के अंदर ही वजन 40 किलो के आसपास आ गया था।

गांधी ने डा. बाबासाहब आम्बेडकर पर पूना करार करने के लिए दबाव डाला। गांधी ने इस तरह अफवाएँ भी फैलाई कि, गांधी की जान खतरे में है। ऐसा करने के पीछे उन लोगों का यही मकसद था कि देश में दंगे फसाद हो और शक्तिविहीन लोगों पर उनका क्रांध बरसे और वैसा भी हो रहा था। जगह जगह अछूतों की झुग्गी झोपड़ीयों को जलाया गया। लोगों की रोजी-रोटी बंद कर दी थी। डा. बाबासाहब आम्बेडकर ने कहा कि, "What! Do you think that my life is more precious than the rights of my people? I do not care if I am hanged to the nearest lamppost of the street." ''क्या मेरे समाज के हक से भी ज्यादा मेरा प्राण मूल्यवान है ऐसा आप को लगता है? नजदीक केही बिजली के खम्बे पर अगर मुझे फाँसी चढ़ाया दिया जाए तो भी उसकी मुझे परवाह नही!'' ये थे डा. बाबासाहब आम्बेडकर के सिद्धान्त। यह पूना करार जबरन और धोखेबाजी से शरारतपूर्ण तरिके से किया गया समझौता था यह बाबासाहब ने 'व्हॉट कांग्रेस अँड गाँधी हॅव डन टू दी अनटचेबल्स' और स्टेटस् अँड मायनॉरिटी अनटचेबल्स' इस किताब में स्पष्टतः कहा। डा. बाबासाहब आम्बेडकर के पश्चात उनके अनुयायीयों ने पूना करार का किस तरह धिक्कार किया इस बारे में हमने एक किताब लिखी है। जिसका शीर्षक 'गांधी एक दगाबाज और पाखंडी राजनीतिज्ञ' इस ग्रंथ को पाठकों ने याद से पढ़ना चाहिए। डा. बाबासाहब आम्बेडकर ने अंत तक विरोध किया, धिक्कार किया। पूना करार से स्वाभिमानी आन्दोलन का नुकसान हुआ।

''कांग्रेस में शामिल होनेवाले अछूतों पर कांग्रेस ने यह कड़ी पाबंदी लगा दी कि वे अछूतों का ऐसा कोई स्वतंत्र आन्दोलन नहीं चला सकते, जिसकी अनुमती उच्च कमान ने न दी हो। नतीजा यह है कि प्रांतो में अस्पृश्य कांग्रेस में शामिल हो गए है। वहाँ अछूतों का आंदोलन वस्ततुः ठप्प हो गया। इतना ही नहीं तो गांधी और कांग्रेस ने ब्राह्मणे तरों का जो स्वाभिमानी आन्दोलन था उसे भी निगल लिया और हजम किया। शुरु में गांधी ने स्वराज्य और देशभक्तों का नाम आगे कर के पुना करार के लिए ओबीसी का समर्थन ले कर अछूतों पर पूना पैक्ट थोपा और ओबीसी से मीठी मीठी बातें करके उनके ऊपर भी पूना पैक्ट थौप दिया। यह आज भी ओबीसी को पता नहीं। डा. बाबासाहब आम्बेडकर ने अछूत और शूद्र (ओबीसी) का सामाजिक ध्रुवीकरण करके 'ब्राह्मणी' छावणी खात्मा करना चाहते थे। 1930 के आसपास सत्यशोधक के प्रमुख नेताओं को कांग्रेस ने कांग्रेसवादी कर दिये। दिनकरराव जवलकर ने तो गांधी से बहुत अपेक्षा रखी थी। गांधी जब गोलमेज परिषद गए तब उन्होंने 'सत्यशोधक महात्मा गांधी' यह उन के स्तुतिसुमनवाला लेख भी लिखा था। सत्यशोधक आन्दोलन के प्रमुख लोगो को कांग्रेस ने अपने वश में कैसे किया था यह एक खोज का विषय है। गांधी ने जेधे को एक खत लिखा जिसमें गांधी धमकी दी थी, 'खबरदार कांग्रेस में ब्राह्मणेत्तर वाद किया तो!''

डा. बाबासाहब राष्ट्रपिता फुले की ही विरासत चला रहे थे। **''अतः हिन्दुओं में से पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों का दावा पूर्णतः उचित ही था कि उनके लिए विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। यदि उनके दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया जाता तो घोषित वर्गों के संख्या में भारी वृद्धि हो जाती। लेकिन उन्हें अस्पृश्य अथवा सवर्ण हिंदुओं से कोई समर्थन नहीं मिला। हिंदू ऐसे किसी प्रयास के विरूद्ध थे, जिसका उद्देश्य घोषित वर्गों की संख्या में वृद्धि करना हो। इन पिछड़ी जातियों के लिए उचित मार्ग यही था कि वे मांग करते कि स्पृश्य हिंदूओं का विभाजन उन तथा पिछड़े लोगों के रूप में किया जाए और पिछड़े लोगों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। उस प्रयास में अस्पृश्य उनका समर्थन करते। लेकिन वे इसके लिए सहमत नहीं हुए और आग्रह करते रहे कि उन्हें शोषित वर्ग डिप्रेस्ड क्लास में शामिल किया जाए। उनका मुख्य कारण यह था कि उनका विचार था कि यह उनके उद्देश्य को पूरा करने का आसान तरीका था। लेकिन चूंकि अस्पृश्यों ने इसका विरोध किया, अतः पिछड़े वर्ग विमुख हो गए और उन्होंने हिंदूओं से भी अधिक उग्र रूप से अस्पृश्यों का अस्तित्व को नकारने में हिंदूओं का साथ दिया।** ब्राह्मणों की जातिव्यवस्था निर्मिती का सबसे बड़ा नुकसान ओबीसी को हुआ। कांग्रेसी लोगों को जातीय पूर्वाग्रह का फायदा उस समय भी हुआ और आज भी होता है। ओबीसी के सभी तरह के सत्यानाश की वजह पूना करार में है यही सच्चाई है।

पूना करार से तो कुछ मिला ही नहीं मगर डा. बाबासाहब आम्बेडकर गांधी और कांग्रेस के षड्यंत्र का पर्दाफाश करने का काम शुरु ही रखा। बाबासाहब का गांधी से संघर्ष अनिवार्य है। उसमें बाबासाहब की ही जीत होने वाली थी मगर गांधी ने धोकेबाजी को ही अपनी विजय कहा। पूना करार से लायक प्रतिनिधित्व नहीं मिला बल्कि 'टूल, स्टूज, एजेट' अर्थात, दलाल और भडवे मिले। इस षड़यंत्र के सदर्भ में बाबासाहब ने विस्तृत साहित्य लिखा, भाषण भी दिए और उस षड़यंत्र का धिक्कार किया। इतना ही नहीं डा. बाबासाहब आम्बेडकर तथाकथित आजादी के आन्दोलन में शामिल भी नहीं थे। उन्होंने 'व्हाट कांग्रेस अॅड गांधी हैव डन टू दी अनटचेबल्स' में विदेशी विद्वानों को अपील करते हुए कहा कि हे विदेशी विद्वानों उन ब्राह्मण-बनिया लोगों को पूछो कि उनकी आजादी का आन्दोलन सारे लोगों का आन्दोलन है? वह तो केवल ब्राह्मणों के वर्चस्व का आन्दोलन था। ''एक स्वतंत्र देश में क्या स्वतंत्रता केवल ब्राह्मणों के लिए ही है अथवा सबके लिए? इसलिए मेरे विचार से कांग्रेस का पक्ष लेने वाले विदेशियों से पूछा जा सकता है कि क्या कांग्रेस आजादी के लिए लड़ाई लड़ नहीं रही है? यह सवाल पूछने के बजाए उन्हें पूछना चाहिए कि कांग्रेस किसके लिए आजदी की लड़ाई लड़ रही है? क्या वे ब्राह्मणों की आजादी की लड़ाई लड़ रही है या सभी लोगो के आजादी की लड़ाई लड़ रही है? बाबासाहब कांग्रेस के तथाकथित आजदी के आन्दोलन में शामील नहीं हुए, इसलिए भी ब्राह्मणों के लिए चुनौति सिद्ध हुए।''

विस्तारभय की वजह से बाबासाहब का वह वचन यहाँ दे रहे है जिसमें उन्होंने पूना पैक्ट का विरोध किया था। - ''उस समय मुझे लग रहा था, कि 'पूना करार' यह जंटलमन्स ॲग्रीमेंट है और कांग्रेस वगैरह सारे हिंदू लोग स्पृश्यास्पृश्यवाद मिट गया है, इस तरह व्यवहार करेंगे और स्वराज्य के लिए अपना राज्य है, ऐसी परिस्थिति पैदा होगी ऐसा अछूतो को लगना चाहिए। चुनाव का समय आया तब कांग्रेस का असली सच दिखाई देने लगा। पूना करार हमें जो 15 सीटें मिली थी उसमें लोभ हेतू किसी एक जगह बढ़ाना तो दूर परन्तु वह 15 जगह कैसे निष्प्रभ हो जाए इसके लिए उन्होंने खास प्रयास किया। उन सभी जगहों पर अशिक्षित और स्वार्थी ऐसे भाड़े के टट्टू गुलाम लोग उन्होंने खड़े किए। ताकि वही लोग चुनकर आने के बाद वे पिछलग्गू लोभी बन जाऐंगे। कहाँ आज के आश्रम में झाड़ूवाले का काम करनेवाला और कहाँ कांग्रेस का बुटलर नेता। और उन्होंने दलाल लोग चुनाव में खड़े किए। स्वतंत्रता से खड़े किए गए स्वाभिमानी और सुशिक्षित उम्मीदवारों को पराजित करने के लिए उन्होंने यह खास षड़यंत्र शुरु किया। पैसे के दम पर वे षड़यंत्र करते है। मिस्टर जिना यह पृथक निर्वाचन से क्यों इतना आग्रह कर रहे हैं इसकी खास वजह है। मुझे विरोधी उम्मीदवार खड़ा किया इसका दुःख नहीं है? परंतु नालायक लोगों को हाथ में लेकर उन्हें हमारे सिरपर नचवाते हैं और इससे बहुत गुस्सा आता है। बाबासाहब ने जिंदगीभर पूना करार का धिक्कार किया। उन्होंने यह भी कहा था कि, 'भारत में जो चुनाव पद्धति है वह एक बहुत बड़ा पाखंड है, और अनुसूचित जाती-जनजातियों को पृथक चुनाव क्षेत्र होना ही चाहिए। इस तरह ऐसे परिस्थितियों में डा. बाबासाहब आम्बेडकर गांधी कांग्रेस के खिलाफ रहे, उनकी शरण नहीं गए। वह एक स्वाभिमानी इतिहास और प्रेरणादायी इतिहास है। जो उसे भूलेगा वह खुद पर सत्यानाश ओढ लेगा।

सभार - बाबा साहब डा० अम्बेडकर की हत्या किसने क्यों और कैसे की?
प्रो० विलास खरात
पृष्ठ सं. 62-72

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण नियमावली 1995

नियम 12/4

सेवा में,

नाम .....

पता .....

.....

.....

राहत के मापदण्ड

	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1.	अखाधया घृणाजनक पदार्थ पीना या खाना धारा 3(1)(I)	प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए 25,000/– रू0 या उससे अधिक और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर, अपमान, क्षति तथा मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा दिए जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा : (1) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए। (2) 75 प्रतिशत जब निचले न्यायालयों द्वारा दोष सिद्ध ठहराया जाय।
2.	क्षति पहुँचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना 3(1)(II)	
3.	अनादर सूचक कार्य धारा 3(1)(III)	
4.	सदोष भूमि अधिभोग में लेना या उसपर कृषि करना आदि 3(1)(IV)	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए कम से कम 25,000/– रू0 या उससे अधिक भूमि/परिसर/जल ही आपूर्ति जहाँ आवश्यक हो सरकारी खर्च पर पुनः वापस की जाएगी। जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए पूरा भुगतान किया जाए।
5.	भूमि, परिसर या जल से संबंधित धारा 3(1)(V)	
6.	बेगार या बलात श्रम या बंधुवा मजदूरी धारा 3(1)(VI)	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को कम से कम 25,000/– रू0 प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्टेज पर 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर।
7.	मतदान के अधिकार के संबंध में धारा 3(1)(VII)	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 20,000/–रू0 जो अपराध के स्वरूप और गंभीरता पर निर्भर है।
8.	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करनेवाली विधिक कार्यवाही धारा 3(1)(VIII)	25,000/–रू0 या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के विचारण की समाप्ति के पश्चात् जो भी कम हो।
9.	मिथ्या या तुच्छ जानकारी धारा 3(1)(XI)	
10.	अपमान, अभित्रास धारा 3(1)(X) –	अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 25,000/–रू0 तक। 25 प्रतिशत उस समय जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए, और शेष दोष सिद्ध होने पर।
11.	किसी महिला की जल्लाभंग करना धारा 3(1)(XI)	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को 50,000/–रू0 चिकित्सा जाँच के पश्चात् 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाए और शेष 50 प्रतिशत का विचारण की समाप्ति पर भुगतान किया जाए।
12.	महिला का लैंगिक शोषण धारा 3(1)(XII)	
13.	पानी गन्दा करना धारा 3(1)(XIII) –	1,00,000/–रू0 तक जब पानी को गन्दा कर दिया जाए, तो उसे साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करने की पूरी लागत उस स्तर पर जिसपर जिला प्रशासन द्वारा ठीक समझा जाए भुगतान किया जाए।
14.	मार्ग के रूढ़िजन्य अधिकार से वंचित – करना धारा 3(1)(XIV)	1,00,000/–रू0 तक या मार्ग के अधिकार को पुनः बहाल करने की पूरी लागत और जो नुकसान हुआ है, यदि कोई हो उसका पूरा प्रतिकर 15 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय को दोष सिद्ध होने पर।
15.	किसी को निवास स्थान छोड़ने पर – मजबूर करना धारा 3(1)(XV)	स्थल बहाल करना, ठहरने का अधिकार और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 25,000/–रू0 का प्रतिकर तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुनर्निर्माण यदि नष्ट किया गया हो। पूरी लागत का भुगतान जब निचले न्यायालय मे आरोप पत्र भेजा जाए।
16.	मिथ्या साक्ष्य देना धारा 3(2)(I) और (II)	कम से कम 100,000/–रू0 या उठाए गए नुकसान या हानि का पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रित को कम से कम 50,000/–रू0।
17.	भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध करना धारा (2)	कम से कम 50,000/–रू0 प्रत्येक पीड़ित व उसके आश्रितों को यह अपराध के प्रकृति पर निर्भर होगा। यदि अनुसूचि में विशिष्ट रूप है अन्यथा प्रावधान किया हुआ है तो राशि में अंतर होगा।
18.	किसी लोक सेवक के हाथों उत्पीड़न धारा 3(2)(VII)	उठाई गई हानि या नुकसान का पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत का भुगतान जब निचले न्यायालय मे दोष सिद्ध हो जाए।
19.	निर्योग्यता। कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं0– 462183 एच0 डब्लू0 3 दिनांक– 6 अगस्त 1986 में शारीरिक और मानसिक निर्योग्यताओं का उल्लेख किया गया है के आलोक में।	
	(क) 100 प्रतिशत असमर्थता	
	(I) परिवार का न कमानेवाला सदस्य	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 1,00,000/–रू0 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर और 25 प्रतिशत आरोप पत्र पर और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर।
	(II) परिवार का कमाने वाला सदस्य	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 2,00,000/–रू0 50 प्रतिशत का प्रथम सूचना रिपोर्ट/चिकित्सा जाँच पर भुगतान किया जाए और 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए तथा 25 प्रतिशत निचले न्यायालय मे दोष सिद्ध होने पर।
	(ख) जहाँ असमर्थता 100 प्रतिशत से कम है	उपर्युक्त (क)(I) और (II) में निर्धारित दरों को भी अनुपात मे कम किया जाएगा, भुगतान के चरण भी वही होंगे। तथापि न कमाने वाले सदस्य को 15,000/–रू0 से कम नहीं और परिवार के कमाने वाला सदस्य को 30,000/–रू0 से कम नहीं
20.	हत्या/मृत्यु	
	(क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य	प्रत्येक मामले में कम से कम 1,00,000/–रू0 75 प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर।
	(ख) परिवार का कमाने वाला सदस्य	प्रत्येक मामले में कम से कम 2,00,000/–रू0 75 प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर।
21.	हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलातसंग, सामूहिक बलातसंग गैंग द्वारा किया गया बलातसंग स्थायी असमर्थता और डकैती।	उपर्युक्त मदों के अंतर्गत भुगतान की गई राहत की रकम के अतिरिक्त राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नलिखित रूप से की जाए :–
	(I)	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मृतक की प्रत्येक विधवा और या अन्य आश्रितों को 1000/–रू0 प्रति मास की दर से या मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या कृषि भूमि एक मकान यदि आवश्यक हो तो तत्काल खरीद द्वारा।
	(II)	पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण–पोषण का पूरा खर्चा। बच्चों को आश्रम स्कूलों आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जाए।
	(III)	तीन मास की अवधि तक बर्तनों, चावल, गेहूँ, दालों, दलहनों आदि की व्यवस्था।
22.	पूर्णतया नष्ट करना/जला हुआ मकान	जहाँ मकान को जला दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो वहाँ सरकारी खर्च पर ईंट पत्थर के मकान का निर्माण किया जाए या उसकी व्यवस्था की जा ए।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार